जल उपलब्धता के आधार पर योजना बनाएं : मुख्यमंत्री

- ‘जल जीवन मिशन की क्रियान्विति में तेजी लाएं’
- चम्बल एवं इसके बेसिन की पार्वती, कालीसिंध सहित प्रदेश की अन्य नदियों के मानसून में व्यर्थ बहने वाले पानी के उपयोग की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जल जीवन मिशन एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है, इसलिए इसकी आयोजना और क्रियान्विति में अधिक सतर्कता बरतने और गति लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि हम हर घर में नल से पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल कर लें, तो यह मिशन प्रदेश के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। उन्होंने राज्य की पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं में मिशन के फंड का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जल जीवन मिशन की तैयारियों पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, पंचायती राज आदि विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत योजनाओं की प्लानिंग इस तरह से की जाए कि जिन स्थानों पर जल स्रोत उपलब्ध हैं, वहां के निवासियों को जल्द से जल्द मिशन का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए छोटे बांधों, एनीकट, जलग्रहण संरचनाओं आदि की उपयोगिता पर विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सतही पानी बहुत कम है, जबकि मिशन में अधिकतर परियोजनाएं सतही पानी से ही संचालित होंगी। ऐसे में केन्द्र सरकार को प्रदेश की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत मिशन के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने पर विचार करना चाहिए।

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने प्रदेश में जल जीवन मिशन की आयोजना, लक्ष्यों, स्वीकृतियों तथा क्रियान्विति की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।

इस बैठक से पूर्व सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री निवास पर हुई एक अन्य बैठक में गहलोत ने अधिकारियों को चम्बल एवं इसके बेसिन की पार्वती, कालीसिंध सहित प्रदेश की अन्य नदियों के मानसून में व्यर्थ बहने वाले पानी के उपयोग की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन एवं जलदाय विभाग प्रदेश की भावी जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस पानी के सदुपयोग की योजना बनाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की दीर्घकालीन पेयजल एवं सिंचाई जरूरतों का आंकलन करते हुए वृहद, मध्यम एवं लघु बांध परियोजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने दौसा तथा सवाई माधोपुर जिलों में पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए ईसरदा बांध के साथ-साथ कोटा के नवनेरा बांध के निर्माण कार्य को गति देने के निर्देश दिए।

इन बैठकों में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोरा, प्रमुख सचिव ऊर्जा दिनेश कुमार, शासन सचिव पंचायती राज मंजू राजपाल, जल संसाधन एवं पेयजल विभागों के मुख्य अभियंताओं सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

व्याख्याता पद पर पदोन्नति के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने स्कूल शिक्षक को भौतिक विज्ञान विषय के व्याख्याता पद समस्त परिलाभों के साथ पदोन्नति देने के आदेश दिए हैं। अधिकरण ने कहा है कि अपीलार्थी से जूनियर को दी गई पदोन्नति तिथि से ही प्रार्थी को भी पदोन्नत किया जाए। अधिकरण ने यह आदेश वसीम अख्तर की अपील पर दिए।

अपील में अधिवक्ता आर.पी. सैनी ने बताया कि अपीलार्थी को वर्ष 2011 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। वहीं वर्ष 2019-20 की पदोन्नति में उसे पदोन्नत ना कर उससे कनिष्ठ शिक्षक को पदोन्नत कर दिया गया। इस पर अपीलार्थी ने रिव्यू डीपीसी के लिए प्रार्थना पत्र भी पेश किया, लेकिन विभाग ने उसे खारिज कर दिया।

अपील में गुहार की गई कि विभाग ने वरिष्ठता को दरकिनार कर दूसरे जूनियर अभ्यर्थियों को पदोन्नत किया है। ऐसे में अपीलार्थी को भी पदोन्नति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने अपीलार्थी को पदोन्नत कर समस्त परिलाभ देने के निर्देश दिए हैं।

खनिज भवन के रिकॉर्ड रूम में आग से कई फाइलें और कम्प्यूटर जला

जयपुर (कासं)। राजधानी में शासन सचिवालय के समीप खनिज भवन में सोमवार सुबह रिकॉर्ड रूम में आग लगने से कम्प्यूटर सहित सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है आग में बजरी खनन के पट्टे, अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई से जुड़ी फाइलें सहित ने दस्तावेज जल गए। वहीं आगजनी को लेकर मंत्री प्रमोद जैन भाया ने इस मामले में अधिकारियों को जांच करवाने के आदेश दिए हैं। पुलिस के अनुसार आग सुबह करीब 5 बजे खनिज भवन के कमरा नंबर 508 में लगी। भवन में तैनात सुरक्षा गार्डों की सूचना पर फायर स्टेशन से 2 गाड़ियां मौके पर भेजी गई, लेकिन एक ही गाड़ी से करीब 30 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया। आग का कारण प्रथम दृश्या शॉर्ट सर्किल माना जा रहा है। आगजनी में कई फाइलें, 3 कम्प्यूटर, प्रिंटर, पंखा सहित अन्य सामान जल गया। हालांकि आग पर जल्दी काबू पाने से वहां रखा अन्य कई रिकॉर्ड बच गया।

सीकर की नेछवा तहसील में क्रमोन्नत

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर जिले की नेछवा उप तहसील को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत करने की मंजूरी दी है।

आम सूचना

हमारी फर्म रुद्राक्ष स्टोनेक्स, खसरा नं. 74/7 व 75, ग्राम सांवतसर, तहसील किशनगढ जिला अजमेर, जिला उधोग केन्द्र में फर्म पंजीयन क्रमांक -RF/AJM/2020/3716- दिनांक 7 नवम्बर 2020 है। इस फर्म में दिनांक 12 अप्रेल 2021 को निम्न परिवर्तन किये है। जिसमे संजय लखोटिया पुत्र सुरेश चंद लखोटिया, राजेश मोदी पुत्र मूलचंद मोदी एवं आरती न्याती पत्नी धनराज न्याती सांझेदार रहेंगे। धनराज न्याती पुत्र रामरख न्याती ने सांझेदारी से सेवानिवृत्ति ले ली है। वर्तमान सांझेदार का फर्म में profit sharing ratio निम्न रहेगा। (1) संजय लखोटिया 33.33 प्रतिशत (2) राजेश मोदी 33.33 प्रतिशत, (3) आरती न्याती 33.34 प्रतिशत, धनराज न्याती उक्त परिवर्तन में किसी व्यक्ति, वित्तिय संस्थान को कोई भी आपत्ति हो तो मय सबूत 07 दिवस में अपनी आपत्ति दर्ज करायें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नही होगी।

प्रार्थी-रुद्राक्ष स्टोनेक्स-सांवतसर
M-9414363805

रजि.बेचान-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्र./नगरीय विकास कर/2021-22/330
दिनांक-12/04/2021

सार्वजनिक सूचना

श्रीमती ममता कुमारी जैन पत्नि श्री दिनेश कुमार जैन निवासी ब्यावर ने क्षैत्र नं. 05/01 कुन्दन नगर प्लाट नं. 22 क्षैत्रफल 200.00 व.ग. जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में उक्त सम्पति श्रीमती सज्जन कंवर भंसाली पत्नि श्री जीवणमल जी जैन के नाम दर्ज है तत्पश्चात रजि. बेचान-नामा 05.10.1990, 15.03.2021 का प्रस्तुत कर नगरीय विकास अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है।

अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

आयुक्त, नगर परिषद ब्यावर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की पंचशील नगर योजना के आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्ड संख्या बी 11 (व्यावसायिक), सी-775 (आवासीय), एवं सी 776(आवासीय) के आवंटी श्री दीपक कुमार ऐलानी पुत्र डी आर ऐलानी, श्री डी आर ऐलानी पुत्र श्री रोचीराम ऐलानी, श्री योगेश कुमार ऐलानी पुत्र डी आर ऐलानी निवासी अजमेर में से आवंटी श्री डी आर ऐलानी पुत्र श्री रोचीराम ऐलानी की मृत्यु दिनांक 04/05/2014 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व वसीयतनामा (पंजीकृत दिनांक 05/12/2013) सलंग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु श्री (1) दीपक कुमार ऐलानी (2) योगेश कुमार ऐलानी पुत्र स्व श्री डी आर ऐलानी निवासी अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

प्रदेश में 12 अप्रेल को मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज

जिला	संक्रमित मरीज
अजमेर	172
अलवर	327
बांसवाड़ा	62
बारां	120
बाड़मेर	52
भरतपुर	62
भीलवाड़ा	296
बीकानेर	136
बूंदी	32
चित्तौड़गढ़	121
चुरू	28
दौसा	39
धौलपुर	54
डूंगरपुर	223
गंगानगर	25
हनुमानगढ़	86
जयपुर	961
जैसलमेर	16
जालौर	73
झालावाड़	76
झुंझुनूं	19
जोधपुर	628
करौली	47
कोटा	683
नागौर	65
पाली	144
प्रतापगढ़	23
राजसमंद	139
सवाई माधोपुर	44
सीकर	87
सिरोही	185
टोंक	37
उदयपुर	709
कुल	5771

‘प्रचार के दौरान सावधानी से ही ‘सुरक्षित’ चुनाव संभव’

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने प्रदेश की तीन विधानसभाओं में हो रहे उप चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से करोना संबंधी सभी दिशा-निर्देशों की पालना करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान सावधानी से ही ‘सुरक्षित’ चुनाव संभव है।

गुप्ता ने कहा कि देश सहित प्रदेश में करोना संक्रमितों के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दल और उनके समर्थक पूर्ण सावधानी बरतें और करोना गाइड लाइन की पूर्णतया पालना करें। उन्होंने कहा कि हालांकि स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बाद ही चुनावी सभाओं का आयोजन किया जाएगा लेकिन इस दौरान उम्मीदवारों से अपील है कि सभा स्थल पर कम से कम भीड़ होने दें। उन्होंने कहा कि प्रशासन और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करे कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति सभा स्थल तक नहीं पहुंचे। सभा स्थल में प्रवेश से पूर्व हाथों को सेनेटाइज करें और तय संख्या से अधिक को प्रवेश ना करने दिया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि घर-घर चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ से दूर केवल 5 व्यक्ति ही जनसपंर्क करें तो ‘सुरक्षित’ चुनाव संपादित करवाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा चुनाव प्रचार के दौरान भी उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी के गले नहीं लगे, किसी के पैर ना छूएं और ना ही किसी से हाथ मिलाएं।

सरकारी और निजी अस्पताल मिलकर आपसी सहयोग से करें करोना महामारी से मुकाबला : सीएस

- कोविड के बेहतरीन प्रबंधन के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल निगरानी समिति तथा जिला स्तरीय निगरानी समिति बनाने के भी निर्देश दिए

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि मानवता पर आए संकट करोना वैश्विक महामारी से निजात पाने के लिए निजी अस्पताल खुले मन और दिमाग से आगे आकर सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों के सामुहिक प्रयासों से हम इस महामारी को हरा सकते हैं।

मुख्य सचिव सोमवार को शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से अस्पतालों सरकारी और निजी अस्पतालों के अधिकारियों तथा चिकित्सकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में कोविड प्रबंधन के तहत करोना संक्रमण की दर, सेम्पल टेस्टिंग की स्थिति, करोना से मृत्यु, अस्पतालों में बेड की स्थिति, दवाइयों की उपलब्धता तथा वेक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निजी क्षेत्र के अस्पतालों से करोना संक्रमितों के लिए आरक्षित बेड की संख्या आवश्यकता अनुसार 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने के लिए भी कहा। आर्य ने कहा कि करोना वायरस का नया स्ट्रेन नए लक्षण और नई चुनौतियां लेकर सामने आ रहा है, उसी के अनुसार नई गाइड लाइन के साथ हमें कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि करोना प्रोटोकोल की सम्पूर्ण पालना सुनिश्चित कर इस महामारी को नियंत्रित किया जा सकता है। मेडिकल सुविधाओं के साथ जन जागरुकता के भी निरंतर प्रयास किये जाने चाहिये। आर्य ने कोविड के बेहतरीन प्रबंधन के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल निगरानी समिति तथा जिला स्तरीय निगरानी समिति बनाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि निजी चिकित्सालयों को भी स्वयं के स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर समन्वय एवं टीम भावना के साथ कार्य करना होगा।

बैठक में एस. एम. एस. चिकित्सालय के प्राचार्य डॉ. सुधीर भंडारी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोविड मेनेजमेंट प्रोटोकॉल की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने वीसी के माध्यम से जुड़े सभी चिकित्सा अधिकारियों की प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं का भी समाधान किया।

शंभू पुजारी की जगह सलमान या शहजाद होते तो, अपराधी अब तक जेल में होते : मिश्रा

जयपुर। प्रदेश में लगातार ब्राह्मण पुजारियों पर हो रहे हमले को लेकर दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, विप्र सेना के सुनील तिवारी, भाजपा खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष बृजकिशोर उपाध्याय ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार आने के बाद ब्राह्मण पुजारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं और मंदिर माफी जमीन को कब्जाने का प्रयास हो रहा है।

उन्होंने कहा कि शम्भू पुजारी तो एक छोटा उदाहरण है। लगभग 60 फीसदी ऐसी जमीन पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। राज्य सरकार इन माफियाओं को शह दे रही है। फलोदी की द्वारका मंदिर की जमीन हड़पने के प्रयास वाली घटना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

कार्यालय नगर पालिका आसीन्द, जिला भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक :- नपाआ/2021/105 दिनांक: 12.04.2021

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता को राजस्व ग्राम-आसीन्द के खातेदार ने निम्न आराजी नं. 7534/ 3436 कुल किता 01 रकबा 0.1225 है. भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग करने के लिए ऐसी भूमि के अपने अभिधृत को निर्वापन के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

क्र.सं.	प्र.सं. व वर्ष	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा
01	03/12.04.2021	श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी आसीन्द	7534/3436	0.1225 है.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संम्बधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12.04.2021 को जारी की गयी।

(तेजभान सिंह), प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका आसीन्द

कार्यालय नगर पालिका आसीन्द, जिला भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक :- नपाआ/2021/108 दिनांक: 12.04.2021

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता को राजस्व ग्राम-आसीन्द के खातेदार ने निम्न आराजी नं. 7532/ 3279,7535/3436 कुल किता 02 रकबा 0.2450 है. भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग करने के लिए ऐसी भूमि के अपने अभिधृत को निर्वापन के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

क्र.सं.	प्र.सं. व वर्ष	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा
01	03/12.04.2021	श्री नरोत्तम मेवाड़ा पुत्र श्री चान्दमल मेवाड़ा निवासी आसीन्द	7532/3279 7535/3436	0.2450 है.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संम्बधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12.04.2021 को जारी की गयी।

(तेजभान सिंह), प्राधिकृत अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका आसीन्द

ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए घनश्याम तिवाड़ी को सक्रिय किया

जयपुर। प्रदेश के उपचुनाव का पाला पूरी तरह मंड गया है। जिसमे दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही आज भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए भाजपा में शामिल होने के बाद वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी उप चुनाव में सक्रिय हो रहे हैं।

सुजानगढ़ में भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के नामांकन कार्यक्रम के दौरान हुई चुनावी सभा शामिल होने के बाद तिवाड़ी सोमवार को दोबारा सुजानगढ़ में चुनावी सभा में पहुंचे। खुद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया तिवाड़ी को अपने साथ जयपुर से सुजानगढ़ लेकर गए हैं। इस दौरान पूनिया के साथ तिवाड़ी का भी स्वागत किया गया।

सार-समाचार

अवैध अधिवक्ता स्टीकर का लगाने का विरोध

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शहर में चल रहे व्यावसायिक वाहनों में अवैध रूप से लगे अधिवक्ता स्टीकर का विरोध किया है। एसोसिएशन की ओर से इस संबंध में पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ट्रेफिक को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि टैक्सी, ऑटो, मिनी ट्रक सहित अन्य कई व्यावसायिक वाहनों में अवैध रूप से अधिवक्ता स्टीकर लगाकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जिससे चलते आमजन के सामने अधिवक्ता समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। ऐसे में इन व्यावसायिक वाहनों को जब्त कर कानूनी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाए। एसोसिएशन के महासचिव गिर्राज प्रसाद शर्मा का कहना है कि वकीलों से जुड़े स्टीकर बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। व्यावसायिक वाहन चालक ट्रेफिक पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अपने वाहनों पर यह स्टीकर लगा लेते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर इन पर कार्रवाई की मांग की गई है।

नीमकाथाना में खुलेगा एडीएम कार्यालय

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर जिले के नीमकाथाना में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एडीएम) कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। गहलोत के इस निर्णय से नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर एवं खण्डेला क्षेत्र की जनता को राजस्व एवं आमजन से जुड़े कार्यों में आसानी होगी और सरकारी योजनाओं तथा प्रशासनिक कार्यों की निगरानी का कार्य बेहतर तरीके से सम्पादित किया जा सकेगा। साथ ही, स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा आमजन की मांग पूरी होगी। इस कार्यालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर एवं खण्डेला के उपखंड कार्यालय, सहायक कलेक्टर कार्यालय एवं तहसील कार्यालय, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, खण्डेला, पाटन एवं अजीतगढ़ की पंचायत समितियां, खण्डेला, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर एवं रींगस नगर पालिकाएं तथा पाटन एवं अजीतगढ़ उप तहसीलें सम्मिलित होंगी। इस प्रकार नए एडीएम कार्यालय में कुल तीन उपखंड एवं इतनी ही तहसीलें, 137 पटवार मंडल तथा 442 राजस्व गांव प्रस्तावित किए गए हैं।

डूंगरपुर के दोवड़ा में तहसील को मंजूरी

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर जिले के दोवड़ा में नया तहसील कार्यालय खोलने तथा बनकोड़ा एवं ओबरी में नवीन उप तहसील कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों में आसानी होगी और स्थानीय स्तर पर ही उनके ये कार्य संपादित हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश में विभिन्न तहसील एवं उप तहसील कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने बजट में की गई इस घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए डूंगरपुर जिले में नवीन तहसील एवं उप तहसील कार्यालय खोलने की यह मंजूरी दी है। उनके इस निर्णय से स्थानीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों की मांग भी पूरी होगी।

हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई का विरोध

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में 15 अप्रैल से मुकदमों की सिर्फ वर्चुअल सुनवाई का वकीलों ने विरोध दर्ज कराया है। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर गुहार की गई है कि पूर्व व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट में वर्चुअल के साथ ही फिजिकल मोड में मुकदमों की सुनवाई जारी रखी जाए। सीजे इन्द्रजीत महांति को लिखे पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने एसोसिएशन का पक्ष जाने बिना वर्चुअल सुनवाई के आदेश जारी किए हैं। जबकि ऑनलाइन सुनवाई में कनेक्टीविटी की समस्या आती है। ऐसे में पूर्व में चल रही व्यवस्था को ही जारी रखा जाए। वहीं बार कौंसिल के सदस्य डॉ. महेश शर्मा ने भी सीजे महांति को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है।

कोरोना के चलते अब भाजपा मुख्यालय में आसानी से नहीं मिलेगा प्रवेश

जयपुर। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना भयावह स्थिति में पहुंच गया है। जयपुर में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके चलते अब राजनीतिक दलों ने भी सख्ती करना शुरू कर दी है। भाजपा मुख्यालय पर अब आमजन व नेताओं को आसानी से प्रवेश नहीं मिलेगा। जरूरी काम होने और संबंधित व्यक्ति के मुख्यालय में मौजूद होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। यह पाबंदी 15 दिन के लिए लगाई गई है।

इस दौरान कार्यालय कर्मचारियों के प्रवेश पर कोई सख्ती नहीं होगी। भाजपा के पदाधिकारियों और नेताओं को भी विशेष परिस्थिति में ही मुख्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना से मुख्यालय को सुरक्षित रखने के मकसद से यह निर्णय किया गया है। अगर कोई व्यक्ति फरियाद लेकर आता है तो थर्मल स्केनर से तापमान नापने और हाथों को सेनेटाइज कराने के बाद ही उसे प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल भी कोरोना के मामलों के बढ़ने के बाद भाजपा मुख्यालय को बंद कर दिया गया था। खुद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया दो बार कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यही नहीं संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जो भाजपा मुख्यालय में ही निवास करते हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर पार्टी ने पहले ही मुख्यालय को आमजन के लिए बंद कर दिया है।

राजभवन में लगी करोना वैक्सीन

जयपुर, (का.सं.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर प्रारंभ टीका उत्सव के तहत सोमवार को राजभवन में राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का करोना का टीकाकरण हुआ।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना प्रोटोकॉल की पालना का आव्हान किया।

राज्यपाल ने दी नवसंवत्सर की शुभकामनाएं

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने देश और प्रदेशवासियों को नव संवत्सर 2078 आरम्भ होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने फूंका शिक्षा मंत्री का पुतला

जयपुर। शिक्षा मंत्री राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से शिक्षकों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर आज सैकड़ों कर्मचारियों ने गवर्नमेंट प्रेस कार्यालय में एकत्रित होकर बैठक आयोजित की बैठक में सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला फूंकने का निर्णय लिया जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को लगी तो सैकड़ों पुलिस कर्मचारी व अधिकारी गवर्नमेंट प्रेस कार्यालय में पहुंचे और कर्मचारियों को घेर लिया।

कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन की परवाह नहीं करते हुए अपने कंधों पर डोटासरा का पुतला लेकर नारेबाजी करते हुए गवर्नमेंट हॉस्टल की ओर जाने लगे गोरमेंट हॉस्टल के गेट पर ही पुलिस प्रशासन ने रोक लिया जहां पर पुलिस और कर्मचारियों के बीच काफी देर तक धक्का-मुक्की हुई बाद में कर्मचारियों ने गवर्नमेंट हॉस्टल के मुख्य द्वार पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला फूंका। पुतला फूंकने से पूर्व एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह यादव ने कहां की शिक्षा मंत्री को जनप्रतिनिधि होने के नाते किसी भी कर्मचारी नेता के साथ के साथ इस प्रकार का बर्ताव नहीं करना चाहिए साथ ही नाथी का बाडा बताते हुए डेढ़ घंटे तक शिक्षक नेताओं को अपने निवास पर बंदी बना लिया तथा सस्पेंड करने की धमकी दी जिसकी हम निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे शिक्षा मंत्री को जो कर्मचारी और जनता के साथ सही बर्ताव नहीं करते उन्हें तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की, महासंघ एकीकृत मुख्यमंत्री से अपील करता है कि शिक्षा मंत्री अपने कुकृत्य पर क्षमा याचना करें अन्यथा सभी जिला मुख्यालय पर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका जाएगा । महासंघ के मुख्य सलाहकार भंवर सिंह धीरावत ने सरकार पर आरोप लगाया कि 30-10- 2017 की कटौती का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं उस से ध्यान हटाने के लिए सरकार के मंत्री ऐसा नाटक कर रहे हैं जो हम बर्दाशत नहीं करेंगे ।

इस मौके पर महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, उदलसिंह राजावत, वित्त मंत्री सुरेश चंद शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता बाबूलाल शर्मा, शिक्षक एकीकृत के गिरिराज शर्मा, महेंद्र सिंह शेखावत, अजीत सिंह शेखावत, विजय सिंह, हंसराज गुर्जर, राजेश चौधरी, दिलीप सिंह राजावत, महेश कुमार, सर्वेश्वर कुमार शर्मा, प्रहलाद अग्रवाल, पुष्पेन्द्र सिंह, खुशीराम मीणा, सत्येन्द्र चौधरी, कमलेश कुमार शर्मा, बी आर चोपड़ा, पप्पू शर्मा प्रेम बैरवा, मनोज भारती सहित कई कर्मचारी नेता उपस्थित थे।

SRG HOUSING FINANCE LIMITED
321, S M Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur- 313001 (Raj.)
CIN: L65922RJ1999PLC015440, Phone 0294-2561882, E-mail: info@srghousing.com Website: www.srghousing.com

PUBLIC NOTICE FOR SALE/AUCTION OF IMMOVABLE PROPERTY
{UNDER SARFAESI ACT READ WITH PROVISO TO RULE 8(6) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES}

Whereas the Authorized Officer of SRG Housing Finance Limited (hereinafter referred as the 'SRGHFL'), under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred as the 'Act') and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (hereinafter referred as 'Rules') issued Demand Notice under Section 13(2) of the Act calling upon the below-mentioned amount due together with further interest thereon at the contractual rate plus all costs, charges and incidental expenses etc. till the date of payment within 60 days from the date of the said notice.

The Borrower/Co-Borrower(s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) having failed to repay the said amount within the specified period, the authorized officer has taken over physical possession in exercise of powers conferred under Section 13(4) of the Act read with the said Rules, which is to be sold by way of auction on "As Is Where Is Basis", "As Is What Is Basis", "Whatever There Is Basis", and "No Recourse Basis" for realization of Financial Institution's due under Rules 8 and 9 of Rules by inviting tenders/bids as per below Auction schedule: (AUCTION SCHEDULE)

DESCRIPTION OF PROPERTIES	Equitable Mortgage of Land & Building, together with buildings and structures constructed, to be constructed thereon along with fixtures and fittings attached to the earth and anything attached to the earth and made thereon, bearing Property No. - 578/28 and Part Of 577/28, Bhirahiganj, Bhajanganj, Tehsil - Ajmer, District - Ajmer (Rajasthan). Admeasuring 154 SQ. Yards, Surrounded By:- East - Property No. 579/28 Private property, West - Main Nasirabad Road, North - Remaining Part of Property No. 577/28 Private Property, South - 20'0" Wide Gali
Known Encumbrances (if any)	Not Known to the secured creditor
RESERVE PRICE (IN C)	Rs. 96,68,453/- IN WORDS (RUPEES NINETY-SIX LAKH SIXTY-EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED AND FIFTY-THREE ONLY)
EARNEST MONEY DEPOSIT (C) THROUGH DD/PO IN FAVOR OF 'SRG HOUSING FINANCE LIMITED' PAYABLE AT UDAIPUR (RAJASTHAN)	Rs. 9,66,846/- IN WORDS (RUPEES NINE LAKH SIXTY-SIX THOUSAND EIGHT HUNDRED AND FORTY-SIX ONLY)
BID INCREMENTAL AMOUNT	Rs. 10,000/- IN WORDS (RUPEES TEN THOUSAND ONLY)
DATE, TIME AND VENUE FOR OPENING OF BIDS	MAY 03, 2021 ON 11:30 AM AT SRG HOUSING FINANCE LIMITED, {321, S.M. LODHA COMPLEX, NEAR SHASTRI CIRCLE, UDAIPUR - 313001 (RAJASTHAN)}
INSPECTION OF PROPERTIES	AS PER PRIOR APPOINTMENT OF AUTHORIZED OFFICER (ANYTIME BETWEEN 9:30 AM - 6:00 PM)
RETURN OF EMD OF UNSUCCESSFUL BIDDERS	WITHIN 7 WORKING DAYS FROM THE DATE OF AUCTION
LAST DATE FOR PAYMENT OF 25% OF ACCEPTED HIGHEST BID FOR CONFIRMED SUCCESSFUL BIDDERS (INCLUSIVE OF EMD)	THE PAYMENT SHOULD BE MADE LATEST BY NEXT WORKING DAY FROM THE DATE OF BID CONFIRMATION
LAST DATE FOR PAYMENT OF BALANCE 75% OF HIGHEST BID	WITHIN 15 DAYS FROM THE DATE OF BID/SALE CONFIRMATION
LOAN DETAILS PARTY DETAILS	LOAN DETAILS 1. MR. UMA SHANKAR GUPTA S/O MR. BHUPENDRA NATH GUPTA (BORROWER) 2. MRS. INDRA GUPTA W/O MR. BHUPENDRA NATH GUPTA (CO-BORROWER - 1) 3. MR. PARTH GUPTA S/O MR. PRAMOD GUPTA (CO-BORROWER - 2) 4. MR. PRADEEP KUMAR SHARMA S/O MR. SHYAM SUNDER SHARMA (GUARANTOR)
DATE OF DEMAND NOTICE U/S 13(2) OF ACT	SEPTEMBER 27, 2017
AMOUNT OF DEMAND NOTICE U/S 13(2) OF ACT (C)	Rs. 27,70,002/- IN WORDS (RUPEES TWENTY-SEVEN LAKH SEVENTY THOUSAND AND TWO ONLY) AS ON SEPTEMBER 27, 2017
	FEBRUARY 08, 2021
DATE OF PHYSICAL POSSESSION	FEBRUARY 12, 2021
PUBLICATION DATE OF POSSESSION NOTICE OUTSTANDING DUES (C)	Rs. 72,43,478.78/- IN WORDS (RUPEES SEVENTY-TWO LAKH FORTY-THREE THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY-EIGHT AND SEVENTY-EIGHT PAISA ONLY) AS ON APRIL 06, 2021

Detailed Terms & Condition of auction sale of secured asset under SARFAESI Act and Rules:-
1. The property is being sold on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" and "No Recourse" BASIS.
2. To the best knowledge and information of the authorized officer, there is no encumbrance on the property. However, the intending Tenderer/Bidder should make their own independent enquiries regarding to the encumbrances, title of the property put on auction, approved/sanctioned plan from appropriate statutory authority and claims/rights/dues affecting the property, prior to submitting their bid. The property is being sold with all the existing and future encumbrance whether known or unknown to the secured creditor
3. The property shall not be sold below the reserve price.
4. Tenderer/Bidder who are Intending to take part in auction shall deposit EMD (Earnest Money Deposit) through Demand Draft(DD)/Pay Order in favor of "SRG Housing Finance Limited, payable at Udaipur(Rajasthan)"
5. The tenderer/bidder will have to abide by rules and regulations of the Local Authority with respect to transfer or use of the said property.
6. As per section 194 of Income Tax Act (as amended time to time), if property is sold above 50 Lakhs then buyers will have to pay appropriate TDS to the Government treasury and the TDS certificate has to be deposited in the Financial Institution.
7. In case of join Bidders/Tenderers, an authorization letter signed by all the Bidders/Tenderers authorizing actual Bidders/Tenderers to submit and participate in the Bid on their behalf should be attached to the Bid form.
8. Tenderer/Bidder must submit the copy of ID proof i.e. Aadhar card or voter id and pan card.
9. Tender/Bid once made shall not be cancelled or withdrawn. ALL Tender/Bid given by the Bidder will be deemed to have being made by him only.
10. Tenderers/bidders are advised to inspect the property and verify the title bids and documents of the property and be satisfied before submitting their tender/bids for taking part in the auction sale proceeding.
11. The authorized officer is not bound to accept the highest tender/bid or any or all tender/bid and reserve the right to accept or reject any or all the tender/bids or cancel, postponed the auction without assigning any reason thereof.
12. The highest Tenderer/Bidder will be declared as successful bidder subject to fulfillment other terms and conditions. In case of receipt of more than one tender/bid, auction amongst the eligible Tenderer/Bidders will be conducted.
13. The successful bidder shall deposit 25% of the bid amount/sale price (Including EMD) on the same day and in any case not more than next day. The balance 75% of the bid amount shall be paid within 15 days from the date of confirmation of the sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the described mode of payments.
14. In case of default in payment at any stage by the successful bidder/auction purchaser within the stipulated period of time, the sale in the favor of him will be cancelled and the amount already paid him will be fortified to the secured creditor and the property will again be put to sale.
15. No interest is applicable to any deposit/payment/EMD/etc. made by the Tenderers/Bidders/successful bidders in respect of this sale of secured asset.
16. The purchaser has to bear the cess, sales tax(If applicable) and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land use conversion charges, society charges, maintenance charges and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the properties.
17. Sale certificate shall be issued in the prescribed format in favor of successful bidder only.
18. The successful bidder shall have to arrange for registration etc., at his cost of the sale certificate as per the provision of the stamp Act and The registration Act. The successful bidder shall bear the charges payable for conveyance, registration fees, stamp duty etc., as Applicable.
19. In case of sale of property found subject to any encumbrances, the successful bidder/purchaser shall deposit money required to discharge the encumbrance including interest, cost etc.
20. In case of auction schedule is stopped or stayed or postponed, it will be communicated to all Tenderer/Bidder. In case of cancelation of auction the intending bidder shall be intimated by call or message or e-mail as provided by the intending bidder.
21. Decision of the Authorized officer regarding declaration of successful bidder shall be final and binding on all the bidders.
22. The EMD of the unsuccessful bidder will be refunded to their respective A/c numbers shared with the Bank. The bidders will not be entitled to claim any interest, costs, expenses and any other charges(if any).
23. In case of forfeiture of the amount deposited by any defaulting bidder, he shall neither have claim on the property nor on any part of the sum for which may it be subsequently sold.
24. The borrower/mortgagor/guarantor attention is invited to the provision of Sub Section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.
25. The sale of the property is under the provisions of securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest Act 2002. All the Tenderers/Bidders shall be deemed to have read and understood the terms and conditions of sale as per the Act and the Rules and be bound by them.
26. Any disputes/differences arising out of sale of Immovable property(ies)/ secured asset(s) offered for sale shall be subject to the exclusive jurisdiction of Courts/tribunals at Udaipur (Rajasthan) Only.
27. The purchaser shall be required to bear all necessary expenses like stamp duty, registration expenses, transfer fee and other charges etc. for transfer of secured asset (so/ immovable property(ies) in his/her/their name(s).
28. The Financial Institution reserves its right to accept or reject highest, any or all offers(s) without assigning any reason and in case all the offers are rejected, either to hold negotiations with any of the tenderers/bidders or to sell the secured asset(s)/immovable property(ies) through private negotiations with any of the tenderers/bidders or any other party/parties. The Financial Institution's decision in this behalf shall be final.
29. The Financial Institution will be at liberty to amend/modify/delete any of the above conditions at its sole discretions as may be deemed necessary or warranted in the light of facts and circumstances of the case without giving any further notice to the bidders/tenderers and tenderers/bidders shall be deemed to have accepted such revised terms and would accordingly be bound by them.
30. The sale is subject to confirmation by the Financial Institution.
31. For Inspection of the properties, the intending bidders may contact Official Mr. Abhishek Sharma (Mobile - 9887020053) at 321, SM Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur - 313001 (Rajasthan) during office hours from 9:30 AM to 6:00 PM. This bid is not transferable.
NOTE: THIS NOTICE CAN BE VIEWED ON www.srghousing.com

Place - Udaipur
Date Of Publication - 13/04/2021

Sd/-
Authorized Officer, SRG Housing Finance Limited, Udaipur (Raj.)

बढ़ते करोना संक्रमण के चलते राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित

कक्षा आठ को नवीं, नवीं को दसवीं और ग्यारवीं को बारहवीं में बिना परीक्षा के प्रमोट किया जायेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राजनैतिक एवं धार्मिक-सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा धर्मगुरूओं के साथ सीएमआर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संवाद कर रहे थे।

- **मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण के भयावह दौर से मुकाबले के लिए सभी के सहयोग की जरूरत**
- **प्रतिनिधियों ने कठोर कदम उठाने पर सहयोग का आश्वासन दिया**

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हम लोगों को समझाइश कर और सख्ती करके अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, जिसमें सभी संगठनों, धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों और आम लोगों के सहयोग की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन लगभग 6 हजार पॉजिटिव केस आने तथा केवल अप्रेल माह में ही 161 से अधिक मौतों से स्पष्ट है कि संक्रमण का यह दौर भयावह है।

गहलोत बुधवार को राजनैतिक एवं धार्मिक-सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा धर्मगुरूओं के साथ मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिष्ठित जनों से अपील की कि वे अपने प्रभाव में आने वालों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी रखने तथा हाथ धोने सहित कोविड प्रोटोकॉल की हर जगह सख्ती से पालना करवाने में राज्य सरकार का सहयोग करें। संवाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि डी.के. छंगाणी सहित अन्य सभी सामाजिक संगठनों, व्यापारी संघों, कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने महामारी के प्रकोप से बचाव के लिए बीते एक वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना की। सभी ने एक स्वर में संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाने की अपील की।

शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित किया गया है। साथ ही, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 9वीं कक्षा, कक्षा 9 के विद्यार्थियों को 10वीं तथा कक्षा 11 के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूलों में अध्यापन कार्य फिलहाल बंद होने पर अध्यापकों को जागरूकता अभियान सहित कोविड प्रबंधन से जुड़े दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

इस दौरान मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोरा, स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा, परिवहन आयुक्त महेन्द्र सोनी, शासन सचिव गृह सुरेश चन्द गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक जनसम्पर्क राजपाल यादव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजा बाबू पंवार, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भण्डारी, वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. वीरेन्द्र सिंह सहित अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे।

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्व. मथुरादास माथुर की पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट सहित अनेक कांग्रेसजनों ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर एवं स्व. मथुरादास माथुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी पुष्पांजलि दी।

लोगो डिजाइन प्रतियोगिता की अंतिम तिथि आज

जयपुर। प्रदेश में 1 मई से लागू होने जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में लोगो की डिजाइन जमा कराने की 15 अप्रेल को अंतिम तिथि है। कल शाम 5 बजे तक ही प्रतियोगिता के लिए लोगो की डिजाइन जमा हो पाएगी। इसके बाद किये आवेदन प्रतियोगिता में शामिल नही किये जायेंगे।

सार-समाचार

एपीओ करने के आदेश पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने करौली जिले की टोडाभीम तहसील में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को एपीओ करने के शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अधिकरण ने यह आदेश राजन मीणा की अपील पर दिए। अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने कहा की अपीलार्थी टोडाभीम में वरिष्ठ शिक्षक के पद पर तैनात है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने गत दिनों उसे बिना कारण एपीओ कर मुख्यालय भरतपुर कर दिया। जबकि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम के नियम 25ए के तहत सिर्फ आठ परिस्थितियों में ही कर्मचारी को एपीओ किया जा रहा है। प्रकरण में विभाग ने 25ए के नियम की अनदेखी कर उसे एपीओ किया है। इसलिए विभाग के इस एपीओ आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जानी चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने एपीओ आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

'उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी अपात्र क्यों?'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती-2018 में सिर्फ डिप्लोमा धारकों को ही शामिल करने पर कार्मिक सचिव, चिकित्सा सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक सहित आरपीएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि भर्ती में उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश संजय कुमार व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के तहत फिजियोथेरेपिस्ट पद के लिए डिप्लोमा वाले को ही पात्र माना गया है। वहीं आरयूएचएस ने वर्ष 2006 के बाद डिप्लोमा कोर्स बंद कर दिया है। इसके स्थान पर बीपीटी कोर्स कराया जा रहा है। ऐसे में जब डिप्लोमा कोर्स ही नहीं कराया जा रहा तो पद के लिए डिप्लोमा को पात्रता बनाए रखने का औचित्य नहीं है। इसलिए नियमों में संशोधन कर डिप्लोमा के साथ ही डिग्री को भी पात्रता में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

बाबा साहेब डॉ.अम्बेडकर को नमन किया

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर एवं जयपुर स्थित अम्बेडकर सर्किल पर पहुँचकर बाबा साहेब की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। डॉ.पूनिया ने कहा कि भारत रत्न, संविधान शिल्पी और भारत की समरसता के संदेशवाहक बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है।

प्रदेश की 3 विधानसभाओं में उप चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे से थमेगा प्रचार

जयपुर, (का.सं.)। प्रदेश की 3 विधानसभाओं में 17 अप्रेल को होने वाले मतदान के लिए गुरुवार शाम 6 बजे से प्रचार थम जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा, राजसमंद जिले की राजसमंद और चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभा के लिए 17 अप्रेल को प्रातः 7 से 6 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी और समर्थक घर-घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीदवारों और समर्थकों से जनसंपर्क करने के दौरान कोविड के दिशा-निर्देशों की पालना करने की अपील की है।

गुप्ता ने बताया कि मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि यानी 15 अप्रेल, गुरुवार सायं 6 बजे से राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही संगीत-समारोह, नाट्यय-अभिनय अथवा अन्य कोई मनोरंजन कार्यकम आयोजित कर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि घर-घर चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ से दूर केवल 5 व्यक्ति ही जनसपर्क करें तो सुरक्षित चुनाव संपादित करवाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा चुनाव प्रचार के दौरान भी उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी के गले नहीं लगे, किसी के पैर ना छूएं और ना ही किसी से हाथ मिलाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन यह भी सुनिश्चित करें कि प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने मतदान दिवस पर राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा जो पर्ची बूथ लगाए जाते हैं, वहां भी कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना कराई जाए।

गौरतलब है तीनों विधानसभाओं में कुल 7 लाख 43 हजार 802 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, इनमें 3 लाख 80 हजार 192 पुरुष व 3 लाख 63 हजार 610 महिला मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

गहलोत सरकार में बस वैक्सीन चोरी की कसर रह गई थी, वो भी आज पूरी हो गई : डॉ. पूनिया

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में कानून व्यवस्था की बदहाली की पराकाष्ठा है कि सरकार वैक्सीन की सुरक्षा भी नहीं कर सकी, राजधानी जयपुर के एक सरकारी अस्पताल में वैक्सीन चोरी का मामला सामने आया है, जो पूरे देश में वैक्सीन चोरी का पहला मामला है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशभर में वैक्सीनेशन को लेकर प्रतिबद्ध हैं, कोविड के खिलाफ लड़ाई में सभी राज्यों को वैक्सीन सहित सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसे में राजस्थान में वैक्सीन चोरी होना गहलोत सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलता है और यह सरकार की बड़ी लापरवाही है।

डॉ. पूनियां ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में बस चोर और माफिया ही मौज में हैं, आमजन भय के साए में....प्रदेश में इस कदर हालात हैं कि घर में चोरी, मन्दिर में चोरी, अभी कोरोनाकाल में बस वैक्सीन चोरी की कसर रह गई थी वो भी आज पूरी हो गई।

राजभवन में देशी गौवंश आधुनिक दुग्धशाला का उद्घाटन

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को यहां राजभवन में राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजुवास) बीकानेर द्वारा निर्मित देशी गौवंश आधुनिक दुग्धशाला का उद्घाटन किया।

राज्यपाल मिश्र को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. कर्नल विष्णु शर्मा ने बताया कि गौशाला में गौवंश के लिए चारे, आराम, साफ सफाई और स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित व्यवस्था की गई है। तेज गर्मी से बचाव के लिए यहां फव्वारा प्रणाली, गौवंश की स्वच्छता के लिए स्विंगिंग गाय ब्रश, स्वचालित स्नान के उपकरण आदि लगाए गए हैं।

इससे पहले राज्यपाल मिश्र ने गौशाला का अवलोकन कर वहां गौवंश की देखभाल के लिए विकसित की गई अत्याधुनिक सुविधाओं और उपकरणों की कार्य प्रणाली को समझा। उन्होंने गौशाला में की गई व्यवस्थाओं को संतोषप्रद बताते हुए सराहना की। उन्होंने इस दौरान गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर दुलार किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार, प्रमुख विशेषाधिकारी गोविन्दराम जायसवाल, पशु चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर की डीन प्रो. संजीता शर्मा, सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

राजधानी जयपुर में बुधवार को शाम के समय तेज आंधी से दुपहिया वाहनों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। आंधी के साथ कुछ जगह हल्की बूंदे भी पड़ी।

'44 नई आरटीपीसीआर और 28 नई आरएनए एक्सट्रेक्शन मशीन लगाई'

- **कोरोना महामारी के बढ़ रहे खतरे के मद्देनजर राज्य में वर्तमान की 50 हजार टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता को बढ़ाकर 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन किया जा रहा है**

जयपुर, (का.सं.)। कोरोना महामारी के बढ़ रहे खतरे के मद्देनजर राज्य में वर्तमान की 50 हजार टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता को बढ़ाकर 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन किया जा रहा है। इसी संबंध में राज्य के समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला चिकित्सालयों में स्थित माइक्रोबायोलॉजी लैब में 44 नई आरटीपीसीआर मशीन और 28 नई ऑटोमैटिक आरएनए एक्सट्रेक्शन मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।

चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला चिकित्सालयों में वर्तमान में 35 माइक्रोबायोलजी लैब में कोविड की निशुल्क जांच की जा रही है। जांच क्षमता बढ़ाने के लिए इन प्रयोगशालाओं में रीजेंट रेंटल आधार पर 44 नई आरटीपीसीआर मशीन लगाई गई हैं। इस प्रक्रिया में विक्रेता द्वारा प्रति 40 हजार किट्स पर एक मशीन निशुल्क उपलब्ध कराई जानी थी।

गालरिया ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट करने के लिए 17 लाख 60 हजार किट्स का क्रय किया गया है। विक्रेता द्वारा इन 17.60 लाख किटों पर लगभग 14 लाख रुपये प्रति मशीन लागत की 44 मशीनें निशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि इतनी किटें 20 से 25 दिन की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हैं।

चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बताया कि आरटीपीसीआर जांच में वृद्धि के लिये ऑटोमैटिक आरएनए एक्सट्रेक्शन मशीन की भी आवश्यकता होती है। रीजेंट रेंटल आधार पर प्रति 60 हजार किट पर एक आरएनए एक्सट्रेक्शन मशीन विक्रेता द्वारा निशुल्क प्राप्त हुई है।

उन्होंने बताया कि जांच क्षमता को 1 लाख प्रतिदिन करने के लिए इस मशीन की 16 लाख 80 हजार किट्स खरीदी गई हैं। इस प्रक्रिया में करीब 30 लाख रुपये प्रति मशीन लागत की 28 आरएनए एक्सट्रेक्शन मशीनें निशुल्क प्राप्त हुई हैं।

राज्यपाल ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को यहां राजभवन में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जन्म जयन्ती के अवसर पर उनके चित्र् पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल मिश्र ने सभी देशवासियों से बाबा साहेब के 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' के दर्शन और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का आव्हान भी किया।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि बाबा साहेब ने भारतीय संविधान में यह सुनिश्चित करने की पहल की कि देश में किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के लिए जातीय और भाषायी आधार पर कोई भेद भाव नहीं हो। उनका स्पष्ट रूप से मानना था कि देश के सभी नागरिक पहले भारतीय हैं उसके बाद ही उनकी कोई और पहचान है।

मीन भगवान की जयंती आज

जयपुर। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष जितेन्द्र मीणा ने बताया कि 15 अप्रैल को भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीन भगवान की जयंती (भगवान विष्णु के पहले अवतार) पर पूजा-अर्चना कर एवं भोग लगाकर समाज के प्रबुद्धजनों की उपस्थिति में मिठाई बांटकर जयंती मनाई जायेगी।

आम सूचना

मेरी पत्नि पारस पत्नि रामकिशन दरोगा निवासी ग्राम गोठियाना की मृत्यु दिनांक 15.01.1998 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम गोठियाना में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत गोठियाना में नहीं करवाया था। अब मैं मेरी पत्नि पारस का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

प्रार्थी रामकिशन पुत्र गोरधन दरोगा
निवासी ग्राम गोठियाना
तहसील अरांई (अजमेर)

आम सूचना दिनांक 14/04/2021

मै मेरे पक्षकार श्रीमती रूकसाना बानो पत्नी श्री फिरोज खान उम्र 41 वर्ष जाति मुसलमान निवासी तारों का खेड़ा बिजयनगर जिला अजमेर की और से सर्व साधारण को सूचित करता हूं की यह की मेरे पक्षकार श्रीमती रूकसाना बानो पत्नी श्री फिरोज खान अपने प्लाट संख्या 34 खसरा संख्या 522 जो कि तारों का खेडा, बिजयनगर जिला अजमेर में स्थित हैं उक्त प्लाट के चैन दस्तावेज दिनांक 09/04/2021 को अपने घर तारों का खेडा, बिजयनगर से लेकर नगरपालिका बिजयनगर जा रही थी कि उक्त दस्तावेज रास्ते में कहीं गुम हो गए हैं यह कि उक्त दस्तावेज को काफी तलाश करने पर भी नहीं मिले। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि उक्त दस्तावेज जिस किसी व्यक्ति को भी मिले तो उक्त मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क करें। 9414458864

भवदीय, सुनील खत्री (एडवोकेट) आ. अरूण मिष्ठान के सामने पीपली चौराहा बिजयनगर
निवास म.नं. 610/2 पोखरणा कॉलोनी, बिजयनगर

प्रदेश में 14 अप्रेल को मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज

जिला	संक्रमित मरीज
अजमेर	247
अलवर	279
बांसवाड़ा	67
बारां	89
बाड़मेर	21
भरतपुर	71
भीलवाड़ा	355
बीकानेर	170
बूंदी	39
चित्तौड़गढ़	135
चुरू	42
दौसा	14
धौलपुर	42
डूंगरपुर	191
गंगानगर	61
हनुमानगढ़	38
जयपुर	1325
जैसलमेर	11
जालौर	34
झालावाड़	50
झुंझुनूं	46
जोधपुर	820
कोटा	646
नागौर	60
पाली	22
प्रतापगढ़	48
राजसमंद	126
सवाई माधोपुर	114
सीकर	84
सिरोही	20
टोंक	12
उदयपुर	918
कुल	6200

SRG Housing Finance Limited
321, SM Lodha complex, Near Shastri circle, Udaipur (Rajasthan)

CORRIGENDUM

Please refer to the **"Public Notice For Sale/Auction of Immovable Property"** Advertisement of **Uma Shankar Gupta and others** published in the Ajmer edition of Rashtradoot on April 13, 2021 on page no. 2. In this advertisement, the **Date of Bids may be read as May 14, 2021** instead of May 03, 2021. All other details and terms and conditions of the Sale/Auction remain same.

Authorized Officer
SRG Housing Finance Ltd., Udaipur (Raj.)

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल: अजमेर

क्रमांक: 71 दिनांक: 12/4/21

जाहिर आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल पंचशील अजमेर योजना में श्री जगदीश राय बजाज पुत्र भी शिवदास बजाज को आवासीय भूखण्ड संख्या 4/241-ए पंचशील अजमेर में आवंटित कर दिनांक 15/10/2020 को मकान का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री जगदीश राय बजाज की मृत्यु दिनांक 24/11/2020 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती रमेश कुमारी बजाज द्वारा अपने नाम मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। श्रीमती रमेश कुमारी बजाज पत्नी स्व. श्री जगदीश राय बजाज के पक्ष में श्री अमित कुमार बजाज एवम् श्री सुमित कुमार बजाज पुत्र स्व. श्री जगदीश राय बजाज द्वारा हक त्याग पत्र प्रस्तुत किये गये है। अब श्रीमती रमेश कुमारी बजाज पत्नी स्व. श्री जगदीश राय बजाज ने उक्त आवासीय भूखण्ड से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वंय के नाम हस्तांतरण करने करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती रमेश कुमारी बजाज पत्नी स्व. श्री जगदीश राय बजाज का नाम मण्डल रिकॉर्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन हैं। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियंता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड अजमेर

कार्यालय नगर परिषद, मकराना नागौर (राज.)

Email-npmakrana@gmail.com फोन :- 01588-240107, फैक्स 241380
क्रमांक:- नपम/भूमि/2020-21/108 दिनांक:- 12/04/2021

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। कि निम्न आवेदक द्वारा परिषद में निम्न रूप में उल्लेखित प्रयोजनार्थ के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है। परिषद द्वारा आवेदित प्रयोजनार्थ के तहत प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। निम्न प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में आपत्ति मय दस्तावेज प्रमाण के विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से 07 दिवस में कार्यालय समय में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि समाप्ति के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक खातेदार का नाम /पिता का नाम व पता	प्रयोजन	पट्टा/खसरा संख्या	क्षैत्रफल	पडौस
1.	लगनशाह चेरीटेबल नर्सिंग होम सोसायटी जरिये अध्यक्ष अब्दुल अजीज गहलोत, सचिव हाजी अब्दुल अल मक्की निवासी लगनशाह रोड़ मकराना	संस्थानिक नियमन	वार्ड नं. 27	8120.30 वर्गगज	पूर्वः लियाकत अली गेसावत व लियाकत अली गेहलोत मकान पश्चिमः- अन्जुमन कॉलेज उत्तरः- आम रास्ता दक्षिणः- जलालुदीन जी रान्दड़ का मकान

आयुक्त नगर परिषद मकराना

संविधान की मूल भावना को आत्मसात करें : सीएम

- **धर्म, जाति एवं क्षेत्र के आधार पर किसी तरह का विभेद नहीं हो : डॉ. एन सुब्बाराव**
- **समाज को तोड़ने वाली भाषा के प्रयोग का हमारी भावी पीढ़ी पर गलत असर पड़ेगा : पीवी राजगोपाल**

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महापुरूषों की जयन्ती मनाते हुए हमें उनके विचारों को अपनाना चाहिए। देश में जैसी परिस्थितियां आज हैं, ऐसे में हमें बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए समाज में समरसता कायम करने की ज़रूरत है।

गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अम्बेडकर जयन्ती पर आयोजित 'सर्व समाज की भूमिका शांतिपूर्ण प्रदेश के लिए' विषयक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस परिवार में झगड़े होते हैं, वहां सुख-शांति कायम नहीं हो सकती। यही बात हमारे समाज, प्रदेश एवं देश पर भी लागू होती है। आज समाज को विघटित करने वाली भाषा प्रयोग में लाई जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इससे समाज के विभिन्न वर्गो में वैमनस्य कायम हो रहा है। धर्म निपेक्षता की मूल भावना को भुला दिया गया है। संवैधानिक संस्थाओं पर भारी दबाव है। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल भावना को आत्मसात करते हुए हमें अपने व्यवहार एवं भाषा पर संयम रखने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने बचपन में उनके साथ हुए अन्याय और अपमान पर प्रतिक्रिया नहीं की बल्कि उच्च अध्ययन कर अपने आपको काबिल बनाया और दलित, शोषित एवं पिछड़ों को उनका हक दिलाया। राष्ट्रिपता महात्मा गांधी भी दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ हुए भेद-भाव एवं अपमान का घूंट पीकर ऊंच-नीच दूर करने एवं समाज में समरसता कायम करने में जुट गए। हमारे युवाओं को भी सही राह दिखाने की आवश्यकता है। उन्हें देश के हालात पर चिंतन-मनन करने के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि वे इनमें सुधार ला सकें। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में छुआछूत एवं घूंघट प्रथा मानवता पर कलंक हैं।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि आज जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने के प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में गांधीजी और बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों को अपनाने की जरूरत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव ने कहा कि बाबा साहेब के विचारों को अपनाते हुए प्रदेश में दलित, शोषित एवं पिछड़ें वर्गों के कल्याण की भावना के साथ कार्य किया जा रहा है। संगोष्ठी के वक्ता गांधीवादी विचारक डॉ. एन सुब्बाराव ने कहा कि धर्म, जाति एवं क्षेत्र के आधार पर किसी तरह का विभेद नहीं हो और पूरी मानव जाति को एक परिवार की तरह माना जाए, ऐसी शिक्षा हमें हमारे बच्चों को देने की जरूरत है। उन्होंने अम्बेडकर जयन्ती पर इस कार्यक्रम के माध्यम से सर्व समाज को एक साथ लाने के प्रयास के लिए मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया।

गांधीवादी विचारक एवं गांधी पीस फाउण्डेशन के पूर्व उपाध्यक्ष पीवी राजगोपाल ने कहा कि समाज को तोड़ने वाली भाषा के प्रयोग का हमारी भावी पीढ़ी पर गलत असर पड़ेगा। भाषा का संतुलन एवं ज्ञान आधारित सूचना आज समाज के लिए बहुत जरूरी है। हिंसा की तुलना में हमें अहिंसा को उससे भी मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि गांधीजी विरोधी के प्रति भी नफरत की भावना रखने में विश्वास नहीं करते थे।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. देव स्वरूप ने कहा कि बाबा साहेब ने पहली बार दलित एवं शोषित वर्ग में चेतना पैदा की और उन्हें इस बात का अहसास दिलाया कि संसाधनों पर उनका भी बराबरी का हक है। वे मानते थे कि व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या धर्म से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत के आधार पर होनी चाहिए। वे एक संतुलित एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के पक्षधर थे।

कार्यक्रम की शुरूआत में मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों ने बाबा साहेब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। वर्ष 2020 का अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार कोदरलाल बुनकर को जबकि 2021 का अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार ए.आर. खान को दिया गया। पुरस्कार के तहत एक लाख रूपए का चैक एवं प्रतीक चिन्ह दिया गया। 50 हजार रूपए का अम्बेडकर सामाजिक न्याय पुरस्कार एडवोकेट महावीर जिन्दल को जबकि 50 हजार रूपए का अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार अरमान फाउण्डेशन की डॉ. मेनका भूपेश को दिया गया। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित 17 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार के तहत 51-51 हजार रूपए की राशि के चैक दिए गए।

संक्षिप्त समाचार

भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी

शाहपुरा (हुक्मनामा समाचार)। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा नगर अध्यक्ष लादूराम खटीक ने बताया कि भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल 2021 बुधवार को 130 वी जयंती डॉ भीमराव अंबेडकर स्मारक (उपखण्ड कार्यालय के बाहर) प्रात: 8ः30 बजे माल्यार्पण किया जाएगा कार्यक्रम के तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी शाहपुरा नगर के वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा।

अवहेलना करने पर 2 दुकानें सीज

कोटा (हुक्मनामा समाचार)। कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर केशवपुरा महावीर नगर रोड पर दो दुकानों को सीज किया गया। नगर निगम दक्षिण आयुक्त कीर्ति राठौर ने बताया कि दोनों दुकानों पर बगैर मास्क के ही व्यवसाय किया जा रहा था। दुकानदार और उपभोक्ता किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। आयुक्त ने बताया की गाइडलाइन की अवहेलना करने पर दुकानों को सीलिंग की कार्यवाही जारी रहेगी तथा व्यापारियों से अपील की कि वे मास्क के लिए ग्राहक को समझाइश करें और खुद भी मास्क लगाकर व्यवसाय करें।

40 कोरोना जागरूकता प्रचार रथों को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

कोटा (हुक्मनामा समाचार)। कोरोना से बचाव जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को 40 प्रचार ऑटो को प्रचार-प्रसार के लिए नगर निगम कोटा दक्षिण के महापौर राजीव अग्रवाल, उपमहापौर पवन मीणा, एवं पार्षदगण द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम दक्षिण आयुक्त कीर्ति राठौर ने बताया कि जिले में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए निगम द्वारा 40 ऑटो प्रचार रथ शहर के विभिन्न वार्डों एवं क्षेत्रों में भ्रमण कर आम नागरिकों को कोरोना से बचाव एवं जागरूकता का संदेश देंगे। उन्होंने बताया कि इन जागरूकता रथों के साथ मास्क का वितरण भी किया जायेगा।

पेट्रोल पंप गड़बड़झाला का मामला आया सामने

झालावाड़ (हुक्मनामा समाचार)। निवासी एक उपभोक्ता ने झालरापाटन सुनेल रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर बड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए उक्त पेट्रोल पंप को संदिग्धता के कटघरे में ला खड़ा किया है, झालावाड़ निवासी उपभोक्ता ने बताया कि झालरापाटन के निकट सुनेल रोड पर स्थित भारत पेट्रोलियम के श्री गणेशम एसोसियेट पेट्रोल पंप उन्होंने अपनी कार में करीब 2 हजार रुपए का डीजल भराया, डीजल भराने के बाद उनकी गाड़ी में कुछ समस्या आई जिसको लेकर उन्होंने अपनी कार को मैकेनिक को बताएं तो मैकेनिक ने गाड़ी देखने के बाद बताया कि उक्त डीजल सही नहीं लग रहा है और हो सकता है इसमें बायोडीजल मिलाया गया जब डीजल को नापा गया तो डीजल भी कम पाया गया मामला के अनुसार उपभोक्ता के इन आरोपों से उक्त पेट्रोल पंप पर सवालिया निशान उठते है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

कांस्टेबल ने जान पर खेलकर युवक को बचाया

कोटा। राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन द्वारा आज कुन्हाड़ी थाने के हेड कांस्टेबल राधेश्याम जी सांखला , चालक चेतराम जी चौधरी द्वारा चंबल पुलिया से गिरे युवक को अपनी जान पर खेलकर बचाया आज राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन के पदाधिकारी राष्ट्रीय सचिव विजय पंडित , प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. आर्य , ब्लॉक अध्यक्ष जावेद अख्तर , उपभोक्ता कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष दीपक शर्मा , युवा नेता नदीम अगवान , महफूज अली आदि ने जाकर थाना अधिकारी गंगा सहाय जी शर्मा , राधेश्याम जी सांखला , चेतराम जी चौधरी का माला पहनाकर व सम्मान प्रतीक देकर सम्मान किया गया और उनको उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई।

मदर्स डाइग्नोस्टिक ओर डिजिटल एक्सरे द्वारा रमजान माह में नि:शुल्क शुगर ओर ब्लड प्रेशर जांच की सुविधा

निम्बाहेड़ा। कहा जाता है कि रमजान का महीना एक ऐसा मुबारक महीना है कि इस मे जितना नेक काम किया जाए उतना अच्छा है । इस वर्ष 14 अप्रेल से शुरू हो रहे रमजान महीने के पहले दिन से ही 'मदर्स डाइग्नोस्टिक ओर डिजिटल एक्सरे दुकान नंबर 15 , सरकारी हॉस्पिटल परिसर' द्वारा मरीजो के नि:शुल्क शुगर ओर ब्लड प्रेशर जांच की सुविधा रखी गई है ।

साइन बोर्ड फिल्म प्रोडक्शन और हिमांशी इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की कोटा में जल्द बनेगी फिल्म

कोटा के कलाकारों को मिलेगा मौका, कोटा, बूंदी सहित राजस्थान के कई शहरों में होगी शूटिंग

कोटा (हुक्मनामा समाचार)। कोचिंग नगरी कोटा अब पर्यटन को बढावा देने के लिए फिल्मों की शूटिंग के लिए भी अपनी पहचान बनाती जा रही है। शीघ्र ही कोटा में एक फिल्म व वेब सीरीज की शूटिंग होने जा रही है। कोटा, राजस्थान में शूट होने वाली फिल्म विला न. 17 व पारनिका और राजस्थानी फिल्म के साथ-साथ एक वेब सिरीज भी बनाई जाएगी। इन प्रोजेक्ट के लिए कोटा में प्रोडक्शन हाउस की टीम लोकेशन देख चुकी हैं, बोरखेड़ा, आरके पुरम, चम्बल गार्डन, सेवेन वंडर पार्क, केशवपुरा और बूंदी सहित कुछ और लोकेशन शामिल हैं और जल्द ही शूट शुरू किया जाएगा। लेखक, निर्देशक और निमार्ता रवि शर्मा ने बताया कि सबसे पहले शूटिंग विला न. 17 फिल्म की होगी, जिसके सह निमार्ता ललित शर्मा और प्रदीप जैन हैं। एसोसिएट डाइरेक्टर गौरव यादव हैं और क्रिएटिव डायरेक्टर अनुज यादव, अस्सिस्टेंट डायरेक्ट प्रतीक जोशी होंगे। इस फिल्म के कलाकार मुम्बई, मध्य प्रदेश सहित राजस्थान से भी होंगे।

थ्रिलर व सस्पेंस पर आधारित होगी फिल्म- शहर में जल्द ही साइन बोर्ड फिल्म प्रोडक्शन की फिल्म व वेब सीरीज की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है, जोकि थ्रिलर सस्पेंस पर आधारित होगी। फिल्म के शूटिंग के लिए प्रोडक्शन हाउस की टीम कोटा शहर व आसपास की कुछ लोकेशन को पिछले महीने ही देख चुकी है। फिल्में में स्थानीय कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। कोटा की खूबसूरत लोकेशन अब बडे पर्दे पर एक बार फिर देखने को मिलेगी। साथ ही वेब सीरीज में भी कोटा की कई लोकेशन में शूटिंग होगी। कोटा राजस्थान के जोधपुर शहर के अभिनेता रावल सिंह को साइन बोर्ड फिल्म प्रोडक्शन का राजस्थान का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है। रवि शर्मा ने बताया कि यह एक साइको थ्रिलर फिल्म है, जिसमें मुंबई से मुख्य कलाकार सलोनी यादव, अनुज यादव, सीजी मध्यप्रदेश के गौरव यादव, अभिराज सक्सेना व राजस्थान के रावल सिंह मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म के सह निमार्ता कोटा के ही ललित शर्मा हिमांशी इंटरप्राइजेज प्रोडक्शन ने बताया कि फिल्म के बाद एक वेब सीरीज भी कोटा में शूट होनी है, निर्माण के बाद फिल्म वेब सीरीज को ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा।

राजस्थान लेगेंसी अचीवमेंट अवॉर्ड एंड फैशन नाइट 2021 का होगा आयोजन- फिल्म के सहायक निर्देशक गौरव यादव ने बताया कि इस शूटिंग के समाप्त होने के बाद शहर में साइन बोर्ड फिल्म प्रोडक्शन कोटा में एक अवॉर्ड शो राजस्थान लेगेंसी अचीवमेंट अवॉर्ड एंड फैशन नाइट 2021 का आयोजन भी करने जा रहा है, इसमें राजस्थान से ही शॉ की अलग-अलग कैटेगरी में उन लोगों को सम्मिलित किया जाएगा जिन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत, लगन से अपने क्षेत्र में अलग मुकाम हासिल किया है साथ ही इस शो में देश के साथ-साथ राजस्थान के ही मॉडल्स के लिए एक फैशन नाइट रखा गया है, जिसमें मॉडल को अपनी प्रतिभा दिखाकर प्रोडेक्शन हाउस के आने वाले प्रोडक्ट में अभिनय करने का मौका मिलेगा।

शाहपुरा में सिंधी समाज ने मनाया दाल पकवान दिवस

हर घर में नाश्ते में बना दाल पकवान

शाहपुरा (हुक्मनामा समाचार)। सिंधी समाज ने 11 अप्रैल रविवार को देशभर में दाल पकवान दिवस मनाया। भीलवाडा जिले के शाहपुरा में भी सिंधी समुदाय के घरों में रविवार को नाश्ते के रूप में दाल पकवान ही बनाकर खाया गया। सिंधी व्यंजनों को बढ़ावा देने और समाज की नई पीढ़ी को व्यंजनों की जानकारी देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाने की शुरूआत की गई है।

झूलेलाल महिला मंडल ने एक दिन पूर्व समाज की सभी महिलाओं से रविवार 11 अप्रैल के दिन घरों में दाल पकवान बनाने की अपील की थी। इसका असर भी आज नजर आया। महिला मंडल की अध्यक्ष पूनम आसवानी के अनुसार अधिकांश घरों में दाल पकवान परोसा गया। सिंधी पंचायत के अध्यक्ष लक्ष्मण पेसवानी ने बताया कि वैसे तो सभी सिंधी व्यंजन लजीज और स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन दान पकवान इनका सरताज है। इसी कारण अब सालाना जलसे के रूप में दाल पकवान दिवस मनाया जा रहा है। समाज की बालिका कशिश आसवानी ने दाल पकवान बनाकर सिंधी भाषा को महत्व देते हुए सिंधी भाषा में सभी से दाल पकवान बनाकर खाकर इस दिवस को मनाने की अपील सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर की। दाल पकवान सिंधी समाज का परंपरागत व्यंजन है।?

सांख्यिकी अधीनस्थ संवर्ग के प्रगति प्रसार अधिकारियों के पदों पर

सहायक विकास अधिकारियों को नियम विरूद्ध आवंटन किये जाने का किया विरोध

बूंदी (हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग बून्दी की जिला शाखा ने जिला कलक्टर को प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया। जिसमें आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी संघ,के जिलाध्यक्ष सत्यवान शर्मा ने कहा कि ग्रामीणविकास एवं पंचायतीराज विभाग (पंचायती राज) ने पंचायतीराज अधिनियम,

1994 के अन्तर्गत वर्ष 1996 में बनाये गये पंचायतराजनियम 344 की अवहेलना करते हुए आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मूल्यांकन संगठन विभाग एवं कृषि (सांख्यिकी) विभाग के अधीनस्थ संवर्ग के लिए नवगठित 57 पंचायत समितियों में नवसृजित किये गये प्रगति प्रसार अधिकारियों के पद सहायक विकास अधिकारियों को आवंटित करने हेतु की जारही कार्यवाही को नियम विरूद्ध बताया,ऐसी नियम विरूद्ध प्रक्रिया तत्काल रूकनी चाहिये, अन्यथा इस तरह के निर्णय से आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के जैसे छोटे केडर स्टॉप वाले विभागों के अस्तित्व को बचाना अत्यन्त मुश्किल ही नहीं हो जायेगा, अपितु सांख्यिकी विभाग सहित अन्य दोनों विभागों के अधिनस्थ कर्मचारीयों की पदोन्नति भी भविष्य में नहीं हो पायेगी।

इस संबंध में माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय ,वित्त विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुए राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ, जिला शाखा-आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,बून्दी के महामंत्री संतोश कुमार मीणा,उपाध्यक्ष धारासिंह मीणा, कोषाध्यक्ष महेश कुमार वर्मा आदि ने सांख्यिकी अधीनस्थ संवर्ग के प्रगति प्रसार अधिकारियों के पदों पर सहायक विकास अधिकारियों को नियम विरूद्ध आवंटन का विरोध जताया।

SRG HOUSING FINANCE LIMITED | CIN: L65922RJ1999PLC015440, Phone 0294-2561882,
321, S M Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur- 313001 (Raj.) | E-mail: info@srghousing.com Website: www.srghousing.com

PUBLIC NOTICE FOR SALE/AUCTION OF IMMOVABLE PROPERTY
{UNDER SARFAESI ACT READ WITH PROVISO TO RULE 8(6) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES}

Whereas the Authorized Officer of SRG Housing Finance Limited (hereinafter referred as the 'SRGHFL'), under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred as the 'Act') and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (hereinafter referred as 'Rules') issued Demand Notice under Section 13(2) of the Act calling upon the below-mentioned amount due together with further interest thereon at the contractual rate plus all costs, charges and incidental expenses etc. till the date of payment within 60 days from the date of the said notice.

The Borrower/Co-Borrower(s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) having failed to repay the said amount within the specified period, the authorized officer has taken over physical possession in exercise of powers conferred under Section 13(4) of the Act read with the said Rules, which is to be sold by way of auction on "As Is Where Is Basis", "As Is What Is Basis", "Whatever There Is Basis", and "No Recourse Basis" for realization of Financial Institution's due under Rules 8 and 9 of Rules by inviting tenders/bids as per below Auction schedule: (AUCTION SCHEDULE)

DESCRIPTION OF PROPERTIES	Equitable Mortgage of Land & Building, together with buildings and structures constructed, to be constructed thereon along with fixtures and fittings attached to the earth and anything attached to the earth and made thereon, bearing Property No. - 578/28 and Part Of 577/28, Bhirahiganj, Bhajanganj, Tehsil - Ajmer, District - Ajmer (Rajasthan). Admeasuring 154 SQ. Yards, Surrounded By:- East - Property No. 579/28 Private property, West - Main Nasirabad Road, North - Remaining Part of Property No. 577/28 Private Property, South - 20'0" Wide Gali
Known Encumbrances (if any)	Not Known to the secured creditor
RESERVE PRICE (IN C)	Rs. 96,68,453/- IN WORDS (RUPEES NINETY-SIX LAKH SIXTY-EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED AND FIFTY-THREE ONLY)
EARNEST MONEY DEPOSIT (C) THROUGH DD/PO IN FAVOR OF 'SRG HOUSING FINANCE LIMITED' PAYABLE AT UDAIPUR (RAJASTHAN)	Rs. 9,66,846/- IN WORDS (RUPEES NINE LAKH SIXTY-SIX THOUSAND EIGHT HUNDRED AND FORTY-SIX ONLY)
BID INCREMENTAL AMOUNT	Rs. 10,000/- IN WORDS (RUPEES TEN THOUSAND ONLY)
DATE, TIME AND VENUE FOR OPENING OF BIDS	MAY 03, 2021 ON 11:30 AM AT SRG HOUSING FINANCE LIMITED, {321, S.M. LODHA COMPLEX, NEAR SHASTRI CIRCLE, UDAIPUR - 313001 (RAJASTHAN)}
INSPECTION OF PROPERTIES	AS PER PRIOR APPOINTMENT OF AUTHORIZED OFFICER (ANYTIME BETWEEN 9:30 AM - 6:00 PM)
RETURN OF EMD OF UNSUCCESSFUL BIDDERS	WITHIN 7 WORKING DAYS FROM THE DATE OF AUCTION
LAST DATE FOR PAYMENT OF 25% OF ACCEPTED HIGHEST BID FOR CONFIRMED SUCCESSFUL BIDDERS (INCLUSIVE OF EMD)	THE PAYMENT SHOULD BE MADE LATEST BY NEXT WORKING DAY FROM THE DATE OF BID CONFIRMATION
LAST DATE FOR PAYMENT OF BALANCE 75% OF HIGHEST BID	WITHIN 15 DAYS FROM THE DATE OF BID/SALE CONFIRMATION
LOAN DETAILS PARTY DETAILS	LOAN DETAILS 1. MR. UMA SHANKAR GUPTA S/O MR. BHUPENDRA NATH GUPTA (BORROWER) 2. MRS. INDRA GUPTA W/O MR. BHUPENDRA NATH GUPTA (CO-BORROWER - 1) 3. MR. PARTH GUPTA S/O MR. PRAMOD GUPTA (CO-BORROWER - 2) 4. MR. PRADEEP KUMAR SHARMA S/O MR. SHYAM SUNDER SHARMA (GUARANTOR)
DATE OF DEMAND NOTICE U/S 13(2) OF ACT	SEPTEMBER 27, 2017
AMOUNT OF DEMAND NOTICE U/S 13(2) OF ACT (C)	Rs. 27,70,002/- IN WORDS (RUPEES TWENTY-SEVEN LAKH SEVENTY THOUSAND AND TWO ONLY) AS ON SEPTEMBER 27, 2017
	FEBRUARY 08, 2021
DATE OF PHYSICAL POSSESSION	FEBRUARY 12, 2021
PUBLICATION DATE OF POSSESSION NOTICE OUTSTANDING DUES (C)	Rs. 72,43,478.78/- IN WORDS (RUPEES SEVENTY-TWO LAKH FORTY-THREE THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY-EIGHT AND SEVENTY-EIGHT PAISA ONLY) AS ON APRIL 06, 2021

Detailed Terms & Condition of auction sale of secured asset under SARFAESI Act and Rules:-

1. The property is being sold on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" and "No Recourse" BASIS.
2. To the best knowledge and information of the authorized officer, there is no encumbrance on the property. However, the intending Tenderer/Bidder should make their own independent enquiries regarding to the encumbrances, title of the property put on auction, approved/sanctioned plan from appropriate statutory authority and claims/rights/dues affecting the property, prior to submitting their bid. The property is being sold with all the existing and future encumbrance whether known or unknown to the secured creditor
3. The property shall not be sold below the reserve price.
4. Tenderer/Bidder who are Intending to take part in auction shall deposit EMD (Earnest Money Deposit) through Demand Draft(DD)/Pay Order in favor of "SRG Housing Finance Limited, payable at Udaipur(Rajasthan)"
5. The tenderer/bidder will have to abide by rules and regulations of the Local Authority with respect to transfer or use of the said property.
6. As per section 194 of Income Tax Act (as amended time to time), if property is sold above 50 Lakhs then buyers will have to pay appropriate TDS to the Government treasury and the TDS certificate has to be deposited in the Financial Institution.
7. In case of join Bidders/Tenderers, an authorization letter signed by all the Bidders/Tenderers authorizing actual Bidders/Tenderers to submit and participate in the Bid on their behalf should be attached to the Bid form.
8. Tenderer/Bidder must submit the copy of ID proof i.e. Aadhar card or voter id and pan card.
9. Tender/Bid once made shall not be cancelled or withdrawn. ALL Tender/Bid given by the Bidder will be deemed to have being made by him only.
10. Tenderers/bidders are advised to inspect the property and verify the title bids and documents of the property and be satisfied before submitting their tender/bids for taking part in the auction sale proceeding.
11. The authorized officer is not bound to accept the highest tender/bid or any or all tender/bid and reserve the right to accept or reject any or all the tender/bids or cancel, postponed the auction without assigning any reason thereof.
12. The highest Tenderer/Bidder will be declared as successful bidder subject to fulfillment other terms and conditions. In case of receipt of more than one tender/bid, auction amongst the eligible Tenderer/Bidders will be conducted.
13. The successful bidder shall deposit 25% of the bid amount/sale price (Including EMD) on the same day and in any case not more than next day. The balance 75% of the bid amount shall be paid within 15 days from the date of confirmation of the sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the described mode of payments.
14. In case of default in payment at any stage by the successful bidder/auction purchaser within the stipulated period of time, the sale in the favor of him will be cancelled and the amount already paid him will be fortified to the secured creditor and the property will again be put to sale.
15. No interest is applicable to any deposit/payment/EMD/etc. made by the Tenderers/Bidders/successful bidders in respect of this sale of secured asset.
16. The purchaser has to bear the cess, sales tax(If applicable) and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land use conversion charges, society charges, maintenance charges and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the properties.
17. Sale certificate shall be issued in the prescribed format in favor of successful bidder only.
18. The successful bidder shall have to arrange for registration etc., at his cost of the sale certificate as per the provision of the stamp Act and The registration Act. The successful bidder shall bear the charges payable for conveyance, registration fees, stamp duty etc., as Applicable.
19. In case of sale of property found subject to any encumbrances, the successful bidder/purchaser shall deposit money required to discharge the encumbrance including interest, cost etc.
20. In case of auction schedule is stopped or stayed or postponed, it will be communicated to all Tenderer/Bidder. In case of cancelation of auction the intending bidder shall be intimated by call or message or e-mail as provided by the intending bidder.
21. Decision of the Authorized officer regarding declaration of successful bidder shall be final and binding on all the bidders.
22. The EMD of the unsuccessful bidder will be refunded to their respective A/c numbers shared with the Bank. The bidders will not be entitled to claim any interest, costs, expenses and any other charges(if any).
23. In case of forfeiture of the amount deposited by any defaulting bidder, he shall neither have claim on the property nor on any part of the sum for which may it be subsequently sold.
24. The borrower/mortgagor/guarantor attention is invited to the provision of Sub Section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.
25. The sale of the property is under the provisions of securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest Act 2002. All the Tenderers/Bidders shall be deemed to have read and understood the terms and conditions of sale as per the Act and the Rules and be bound by them.
26. Any disputes/differences arising out of sale of Immovable property(ies)/ secured asset(s) offered for sale shall be subject to the exclusive jurisdiction of Courts/tribunals at Udaipur (Rajasthan) Only.
27. The purchaser shall be required to bear all necessary expenses like stamp duty, registration expenses, transfer fee and other charges etc. for transfer of secured asset (so/ immovable property(ies) in his/her/their name(s).
28. The Financial Institution reserves its right to accept or reject highest, any or all offers(s) without assigning any reason and in case all the offers are rejected, either to hold negotiations with any of the tenderers/bidders or to sell the secured asset(s)/immovable property(ies) through private negotiations with any of the tenderers/bidders or any other party/parties. The Financial Institution's decision in this behalf shall be final.
29. The Financial Institution will be at liberty to amend/modify/delete any of the above conditions at its sole discretions as may be deemed necessary or warranted in the light of facts and circumstances of the case without giving any further notice to the bidders/tenderers and tenderers/bidders shall be deemed to have accepted such revised terms and would accordingly be bound by them.
30. The sale is subject to confirmation by the Financial Institution.
31. For Inspection of the properties, the intending bidders may contact Official Mr. Abhishek Sharma (Mobile - 9887020053) at 321, SM Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur - 313001 (Rajasthan) during office hours from 9:30 AM to 6:00 PM. This bid is not transferable.

NOTE: THIS NOTICE CAN BE VIEWED ON www.srghousing.com

Place - Udaipur
Date Of Publication - 13/04/2021

Sd/-
Authorized Officer, SRG Housing Finance Limited, Udaipur (Raj.)

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघठन के स्थापना दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर में निम्बाहेड़ा एन.एस.यू.आई. के कार्यकताओं ने किया 130 युनिट रक्तदान

छः छात्राओं, पति-पत्नी व पिता-पुत्र की जोड़ी ने भी किया पहली बार रक्तदान

निम्बाहेड़ा (हुक्मनामा समाचार)। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघठन (एन.एस.यू.आई.) के स्थापना दिवस पर सोमवार को राजकीय महाविद्यालय निम्बाहेड़ा छात्रसंघ एवं एन.एस.यू.आई. निम्बाहेड़ा के कार्यकर्ताओं के संयुक्त तत्वाधान मे रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर मे कुल 130 युनिट रक्तदान हुआ। सांवलिया राजकीय जिला अस्पताल चित्तोड़गढ़ की रक्त संग्रहण टीम ने डॉ. सैनी के नेतृत्व मे रक्त संग्रहण किया।

छात्र संघ अध्यक्ष साजन सोनी ने बताया की भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघठन(एन.एस.यू.आई.) की स्थापना के 50 वर्ष पुर्ण होने पर 9 अप्रेल को राजकिय महाविद्यालय निम्बाहेड़ा परिसर स्थित सेमिनार हॉल में रक्तदान शिविर आयोजित होना था, परन्तु 9 अप्रेल का रंगतेरस होने के कारण उस दिन शिविर निरस्त कर दिया गया था, उक्त दिनाक होने वाला निरस्त रक्तदान शिविर 12 अप्रेल सोमवार को आयोजित किया गया। उक्त रक्तदान शिविर राजकीय महाविद्यालय निम्बाहेड़ा छात्रसंघ एवं एन.एस.यू.आई. निम्बाहेड़ा के कार्यकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। जिसमे 130 युनिट रक्तदान हुआ।

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रोमिल चौधरी ने बताया की रक्तदान शिविर का शुभारम्भ जिला फुटबाल संघ के अध्यक्ष पूरण आंजना, नगरपालिका अध्यक्ष सुभाषचंद्र शारदा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरूषोत्तम झंवर व महाविद्यालय प्राचार्य कमल नाहर, पूर्व विधानसभा यु.का. अध्यक्ष ,वं पार्षद रविप्रकाश सोनी, विधानसभा यु.का. अध्यक्ष जसवंत सिंह आंजना, पंचायत समिति सदस्य पिंकेश जैन, कांग्रेस युवा नेता मुकेश पारख ,वं आनंद सालेचा ने मॉ सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों ने रक्त संग्रहण टीम के सदस्यों को माला पहना कर स्वागत-अभिनंदन किया व रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं का होंसला बढाया। एन.एस.यू.आई. ब्लॉक अध्यक्ष संजय उपाध्याय ने बताया की उक्त शिविर मे कुल 130 युनिट रक्तदान हुआ। शिविर मे बड़ी संख्या मे उत्साह के साथ छात्राओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और 6 छात्राओं ने जीवन मे पहली बार रक्तदान कर पु.य कमाया। एन.एस.यू.आई. नगर अध्यक्ष विशाल वर्मा ने बताया की शिविर मे नगरपालिका पार्षदों शम्शुकमर मंसुरी, अक्षय मारू व नीतेष लोठ ने भी रक्तदान किया। साथ ही पति-पत्नी की जोड़ी आशीष/ज्योति अग्रवाल व पिता-पुत्र सुनील/रोहित जाजू की जोड़ी ने भी पहली बार रक्तदान कर रक्तदाताओं में जोश भरने का प्रयास किया।

एन.एस.यू.आई. विधानसभा अध्यक्ष कन्हैयालाल धाकड़ ने बताया की उक्त रक्तदान शिविर में ललित वेष्णव, पंकज शर्मा, यशवंत जाट, आसिफ खा, नन्दकिशोर धाकड़, इश्वर धाकड़, रविकान्त शर्मा, विशाल कीर, नितिन सालवी, मयक नलवाया, शत्रुधन धाकड़, दिपक धाकड़, निर्मल धाकड, अनिल धाकड़, संजय गुर्जर, ललित सालवी, नागेश माली, सुरज सालवी, श्रीनिवास धाकड, विकास धाकड, करण जिंगर, यश मंगनानी, निर्मल सोनी, देवीलाल पाटीदार, गोरव शर्मा, विष्णु पाटीदार, कमल सोनी, राहुल प्रजापत, महादेव धाकड़, दिलिप मेघवाल, तरूण पाटीदार, कन्हैयालाल लोहार, दिपक धाकड़, दिनेशचन्द्र धाकड़, मनीष आंजना, बंटी शारदा, कुलदीप अग्रवाल, अजहर अली, विक्रम टेलर, अरविन्द अहिर, अभिषेक शर्मा, निर्भयसिंह देवड़ा, संजय उपाध्याय, मुकेश धाकड, पिंकी कुमावत, शारदा धाकड़, अनिल कुमावत, कन्हैयालाल धाकड़, अमित सेन, गौरव कुमार दुबे, रणजीत सिंह, धीरज दातवानी, आशीष राव, सोनाली शर्मा, राहुल धाकड, जसपाल आंजना, प्रकाश पाटीदार, प्रवीण बारेठ, अजुर्न नायक, दिपक दुबे, गौरव सुथार, मनीष माली, शाहरूख खान, रुपेश राव मराठा, सुनिल, विक्रम अहीर, समरथ रेगर, अक्षय चौधरी, अक्सम मारू, नवेद मंसुरी, अमन मंसुरी सहित रक्तदाताओं ने मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई व जीवन में सदैव आवश्यकता होने पर रक्तदान करने का संकल्प लिया।

सार समाचार

संविधान निर्माता की जयन्ती मनाई

मदनगंज किशनगढ़ (हुक्मनामा समाचार)। अखिल भारतीय डा. अम्बेडकर विचार मंच के नेतृत्व मे संविधान निर्माता बाबा साहेब भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती अंबेडकर सर्किल बिहारी पोल पर मनाई गई। जिसमें सभी गणमान्य लोगों ने अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माला पहनाकर पुष्प अर्पित किए। विधायक सुरेश टांक ने बाबा साहब के जयकारे लगाकर इनके सिद्धांतों पर चलने का सभी को संदेश दिया। विधायक टांक, मदन लाल जाजोरिया, प्रधान बिरदीचंद लखन, गोपीचन्द लखन, सूबेदार जगदीश प्रसाद कलोसिया, सम्पत खेनिवाल, राजेश बुगालिया, दिनेश लखन, नंदकिशोर, रामनिवास परसोया, उगमराज बालोटिया, कैलाश मुंडोतिया, धर्मचन्द बैरवा, रतनलाल भास्कर, हनुमान प्रसाद मलोदिया, अरूण रोजरा, भागचन्द कुमावत (पार्षद), राजेन्द्र बारेसा, विजय गोयर, सुनीलदत्त रील, महेंद्र रामनिवास परसोया, अशौक भाटी, रामदेव जौरम, कुलदीप सुनारिया, जसराज, अशौक बरणा और भी भीम सैनिक मौजूद थे।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शिविर में 52 रोगी लाभान्वित

मदनगंज किशनगढ़ (हुक्मनामा समाचार)। सेवा भारती समिति किशनगढ़ एवं भवानी क्लीनिक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संयुक्त तत्वाधान शिविर लगाया गया। यज्ञ नारायण चिकित्सालय पुरानी बिल्डिंग माधव भोजनशाला पर आयोजित शिविर में 52 रोगी लाभान्वित हुए। शिविर में डॉ विनय सिंह एवं डॉ प्रवीण गुप्ता निन्शुल्क सेवाएं दी। डाक्टर विनय सिंह चौहान ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में विस्तृत रूप से बताया कि अभी तक किशनगढ़ में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु कोरोना यूनिटी बूस्टर इलेक्ट्रोपैथी दवा करीबन 25 हजार लोगों को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्र में शिविर लगाकर पिला चुके हैं। डॉ प्रवीण गुप्ता ने भी अस्थमा श्वास जोड़ों के दर्द से होने वाली तकलीफ के बारे में विस्तृत के रूप में बताया गया। कैंप में दमा एवं चर्म रोग मासिक धर्म संबंधी रोग फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, खुजली, सांस संबंधी रोगों के लिए इलेक्ट्रोपैथी दवाओं का वितरण की गई। शिविर में सीताराम बंसल, गिरधर पुरोहित, गुलाब चंद दाधीच, विनोद जैन, कर्म चंद जैन, रतनलाल शर्मा, अनुराग व्यास, लक्ष्मीनारायण सोनगरा, अक्षय सिंह बाफना, भवर लाल साहु, भवर लाल सोनी, राजेश नवहाल उपस्थित रहे।

कोरोना के 10 नए मामले

मदनगंज किशनगढ़ (हुक्मनामा समाचार)। कोरोना का कहर किशनगढ़ में लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की शक्ति के बाद भी कोरोना संक्रमणों की संख्या में कोई कमी नही आ रही है। बुधवार को नगर के विभिन्न क्षेत्रों से 10 नए मरीज सामने आए। जिसमें फतेहलाल नगर, राजारेडी, शिवाजी नगर, जैन कॉलोनी, मझेला रोड, अरिहंत विहार क्षेत्र से कोरोना संक्रमित मरीजो को होम क्वारंटाइन किया गया। कोरोना पॉजिटिव में 2 महिला व 8 पुरुष शामिल है। कोविड19 की जांच के लिए 92 सैम्पल भेजे गए थे।

मुनि शिवानंद महाराज ने किया केशलोचन

मदनगंज किशनगढ़ (हुक्मनामा समाचार)। अग्रसेन नगर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन जिनालय में विराजमान आचार्य वसुनंदी महाराज के शिष्य मुनि शिवानंद महाराज ने बुधवार को केश लोचन किया। प्रात: मुनिश्री ससंघ के सानिध्य में श्रीजी का अभिषेक, शांतिधारा की गई। केशलोचन के दौरान भक्तों द्वारा जयकारों से माहौल भक्तिमय बना दिया। मुनि प्रशमा नंद महाराज ने केश लोचन का महत्व बताते हुए सभी को मंगल आशीर्वाद दिया। दोपहर में सामयिक, स्वाध्याय व धर्मचर्चा की गई। सायं मंगल आरती की गई। इस दौरान श्री मुनिसुव्रतनाथ दिगम्बर जैन पंचायत अध्यक्ष विनोद पाटनी, अनिल पाटनी, निर्मल सोगानी, गौरव पाटनी, नितिन सोगानी, अनिल बाकलीवाल, राजेश पाटनी, राजकुमार चौधरी, प्रेमचंद सेठी आदि मौजूद थे।

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई

मसूदा (हुक्मनामा समाचार)। मसुदा उपखण्ड क्षेत्र के कई जगह भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा मसूदा के अध्यक्ष मंगल सिंह रावत ने बताया कि संगठन के पदाधिकारियों द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती को सामाजिक समरसता के रूप में मनाई गई इस अवसर पर मुकेश कुमार कलवार प्रांत प्रचारक के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अंबेडकर जी के शिक्षित होने और संगठित होने के वाक्य पर आगे बढ़ने के लिए कहा गया इस अवसर पर जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष रतन सिंह देवड़ा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष उन के सानिध्य में संविधान का निर्माण किया गया समाज में व्याप्त छुआछूत को मिटाने का उन्होंने जीवन भर प्रयत्न किया इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी विक्रम चौधरी मदनलाल पंचोली अन्नानूर काठात विजय सिंह रावत कई पदाधिकारी उपस्थित थे कार्यक्रम का संचालन संगठन के पदाधिकारी श्रवण कुमार वर्मा ने कियाइसी प्रकार से ग्राम पंचायत रामगढ़ के बाद सेवा मंडल अध्यक्ष प्रभु लाल जाट के सानिध्य में बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई इस दौरान पिंटू भटेवडा सुरेश पारीक , महावीर गुर्जर , ब्रम्हा खाती, सांवरलाल ,जय सिंह रावत , गोपाल ,हेमराज सहित कई भाजपा मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अंबेडकर जयंती पर रक्त दाताओं द्वारा 121 यूनिट रक्तदान

ब्यावर (हुक्मनामा समाचार)। अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्था ब्यावर द्वारा मेघ महल ब्यावर पर भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजित रक्तदान शिविर में 121 यूनिट रक्त दाताओं ने रक्तदान किया। 60 सामान्य रोगियों ने चिकित्सकों से परामर्श लिया। महासभा संस्था के प्रवक्ता गुरु शरण गोयल के अनुसार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मेघ महल ब्यावर मै आयोजित रक्तदान शिविर में समाज के साथ बाबा साहब के चाहने वाले युवाओं ने जोश खरोश के साथ लक्की मकवाना के निर्देशन में रक्तदान किया । इसमें राजकीय अमृत कोर अस्पताल के डॉक्टर मुकुल राजवंशी तथा फ्रीडम ब्लड बैंक के डॉ अमित ने सेवाएं प्रदान की जयंती पर चिकित्सा परामर्श शिविर मे राजकीय अमृत कौर अस्पताल के डॉ सुरेंद्र सिंह चौहान डॉक्टर संजय के सिंह डॉ नरेश गोठवाल अर्जुन सिंह भाटी तथा होम्योपैथिक के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राज मीणा ने स्टाफ सहित अपनी सेवाएं प्रदान की। सभी ने रक्त दाताओं को अभिनंदन प्रमाण पत्र एक लेखनी व माल्यार्पण कर 121 रक्त दाताओं को सम्मानित किया ।

कोरोना वायरस से 42 मरीज संक्रमित

एक बार फिर ब्यावर शहर में कोरोना का ब्लास्ट

ब्यावर (हुक्मनामा समाचार)। अगर ब्यावर शहर के वासी अभी ना सुधरे, लापरवाही बरती, तो वह दिन दूर नहीं जब हर घर में कोई ना कोई कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेट होगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, धार्मिक स्थलों पर भीड़ भाड़ ना करें, हम सभी जीवित रहे, तो आगे कई त्योहार मनाएंगे। घर से बाहर बेवजह ना निकले, किसी कारणवश निकलना भी पड़े तो मास्क जरूर पहन कर निकले, बच्चों को विशेष रूप से घर से बाहर निकलने ना दें बगैर मास्क के, अब वक्त आ गया है कि हम लापरवाही किसी की भी हो बर्दाश्त ना करें। लोगों को रोके टोके मास्क पहनने के लिए निवेदन करें, कल राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में 200 सैंपल लिए गए जिसमें 42 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। पाली जिले के 7, श्री सीमेंट ब्यावर 4, दिल्ली का एक, किशनगढ़ का एक, ब्यावर के ग्रामीण इलाके जो ब्यावर से बिल्कुल नजदीक है कुल 4 कोरोना संक्रमित, मसूदा से एक, इस प्रकार कुल अट्ठारह कोरोना संक्रमित जो वर्तमान में ब्यावर शहर में किसी ना किसी रूप से आए। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में जांच कराने के उपरांत संक्रमित पाए गए। सोचो, समझो, और अब भी ना समझे तो, ब्यावर शहर को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 24 संक्रमित मरीज ब्यावर शहर से हैं, जिसमें कॉलेज रोड से दो किशनगंज से दो, जय अंबे जालिया रोड कॉलोनी, महादेव नगर उत्सव वाटिका, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर, उप जेल कारागार से 2, अश्वनी हॉस्पिटल दो, लोढ़ा कॉलोनी 1, सुंदर नगर 1 तथा इसी प्रकार सोनी निवास खन्ना कॉलोनी गणेश कॉलोनी आइओसी कॉलोनी, कोरोना अपने पैर पसार रहा है। प्यारे ब्यावर शहर वासियों आप सभी से मदद की उम्मीद है। आशा है आप सभी कोरोना नियमों का पालन करेंगे। अनुशासित रूप से रहेंगे। लापरवाही किसी की भी हो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो व्यक्ति बगैर मास्क के नजर आए, तो अपना शहरी धर्म निभाते हुए, उन्हें मास्क पहनने के लिए आग्रह करें। ? ? एक शहर वासी का दूसरे शहर वासी से निवेदन प्लीज स्वीकार करें।

संविधान निर्माता डा अम्बेडक़र को नमन किया

अराई (हुक्मनामा समाचार)। संविधान निर्माता तथा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडक़र की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रृद्धांजली दी गई। एनजीओ इयान एम्पावरमेंट फाउंडेशन द्वारा बाबा साहब को नमन किया गया। 130वीं जयंती पर विचार व्यक्त करते हुए आईईएफ डायरेक्टर मोहसिन हसन ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पी बीआर अम्बेडक़र का व्यक्तित्व किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उन्होंने सदैव वंचितों और शोषितों के हक के लिए संघर्ष किया। इंसान को इंसान के बराबर का दर्जा देने के लिए संविधान में कानून बनाया। समाज में मानववाद की स्थापना हो तभी उनके द्वारा किए गए संघर्ष फलीभूत होगें। अम्बेडक़र जयंती पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण करवाने की भी अपील की। हसन ने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में पंजीकरण करवाने पर पांच लाख रूपये तक कैशलेस इलाज करवाने की सुविधा है। योजना में पंजीकृत अस्पताल में भर्ती होने पर निन्शुल्क ईलाज करवाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी प्रदेशवासियों के लिए योजना की शुरूआत की है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पंजीकृत लाभार्थी योजना में पंजीकृत है। वहीं अन्य लोगों को 850 रूपये वार्षिक प्रीमियम पर योजना का लाभ मिल सकेगा। ईमित्र ऑपरेटर पिन्टू रेगर ने योजना में पंजीकरण की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मानमल रेगर, वार्ड पंच मजीद खान, शशि आचार्य, बलराम जाट सहित कई लोग उपस्थित रहे।

कांग्रेसी पार्षदों ने किये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित

बिजयनगर (हुक्मनामा समाचार)। स्थानीय मील चौक स्थित भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी भवन में संविधान निर्माता बाबा साहब डा भीमराव अम्बेडकर की 130 जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मौके पर मौजूद कांग्रेस पार्षदों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान पार्षद दुलीचंद बैरवा ,जितेंद्र बेरवा ,शहजाद मंसूरी वह पार्षद प्रतिनिधि अजय गुसर, दीपक विश्नावत, कांग्रेस कार्यकर्ता कैलाश आरजिया ,जगदीश गुसर, प्रभु गुसर, देवी लाल बेरवा ,पवन बेरवा, बंटू बेरवा ,सुरेश बेरवा ताराचंद अटवाल ,सोनू भाई ,सूरज बोहित आदि मोजूद रहे।

बिजयनगर में 130वी भीमराव अम्बेडकर जयंती हर्षोल्लास से मनाई

बिजयनगर (हुक्मनामा समाचार)। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 130 वी जयन्ती अम्बेडकर वेलफ़ेयर सोसायटी के नेतृत्त्व में मनाई गई । कोरोना महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए साधारण तरीक़े से समरसता रूप में जंयती मनाई गई और बाबा साहेब को याद किया गया । इस अवसर पर अम्बेडकर वेलफ़ेयर सोसायटी के अध्यक्ष लेखराज बैरवा ,रामलाल नंगवाड़ा ओमप्रकाश बैरवा, मुकेश बैरवा,भाजपा मंडल अध्यक्ष धर्मीचंद जी खटोड़ व महामंत्री रूपचंद नाबेडा, मन्त्री महेंद्र शर्मा ,जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड ,मंडल कोषाध्यक्ष प्रभा चंद बड़जात्या ,सूरज बेरवा ,मुकेश रैगर, मुकेश टेलर ,अजय शर्मा, शिवप्रसाद आगीवाल, सुरेश बैरवा, गोविंद बैरवा, विवेक शर्मा ,आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।

विशेष यूनिफॉर्म में दिखेंगे- एन्टी कोविड टीम मेंबर्स

ब्यावर (हुक्मनामा समाचार)। एन्टी कोविड टीम मेंबर्स के लिए ब्यावर प्रशासन द्वारा विशेष यूनिफॉर्म बनाई गई है। ताकि टीम के सदस्य भी अनुशासित रहकर लोगो को कोरोना के प्रति जागरुक कर सकें। विशेष वेशभुषा में शहर वासियों को भी टीम के सदस्य की जानकारी रहेगी। नगर परिषद आयुक्त जब्बरसिंह द्वारा उपखंड अधिकारी राम प्रकाश के मार्गदर्शन में कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए स्वयं अनुशासित यूनिफॉर्म पहनी।

क्षैत्रवासियो को पक्षियों के परिंडे वितरण किए

ब्यावर (हुक्मनामा समाचार)। जन जीवन ज्योति सेवा संस्था ब्यावर के द्वारा पक्षियों के परिंडे वितरण किए गए। संस्था अध्यक्षा ममता सोनी ने बताया कि सभापति नरेश कनौजिया, धीरज कुमावत, श्याम सोनी, प्रिया भाटी, नितिन शुक्ला, लखन सोनी, कैलाश सांखला, संदीप सेन, पार्षद बबलू चौहान, पार्षद हंसराज शर्मा, मनोज बारूपाल क्षैत्रवासियो को परिंडे वितरण किए।

जनता के साथ कुठाराघात कर रही कांग्रेस सरकार-दीया

सांसद ने सोनियाणा आश्रम में भूतगिरी बावजी के दर्शन किए

ब्यावर (हुक्मनामा समाचार)। सांसद दीयाकुमारी ने कांग्रेस को कठघरे में खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे और घोषणाएं करती हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में विकास रोककर प्रदेश को पीछे धकेलने का कार्य किया है। ग्राम पंचायत भावा में जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण विषयों पर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। वहीं दूसरी और पिछली यूपीए सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया है। जनता का शोषण करने का कार्य किया है। सांसद ने सुशासन के लिए भाजपा को कमल का बटन दबाकर वोट करने की अपील की। सांसद दीयाकुमारी ने चुनाव प्रचार के दौरान सोनियाणा आश्रम पहुँचकर भूतगिरी बावजी के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की प्रार्थना की। इस अवसर पर अनैक कार्यकर्ता पदाधिकारीगण व आमजन उपस्थित थे।

श्री प्राज्ञ महाविद्यालय में बाबा साहब डॉ.अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाई

बिजयनगर (हुक्मनामा समाचार)। श्री प्राज्ञ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संविधान निर्माता,भारत की स्वतंत्रता में अमूल्य योगदान देने व भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. दुर्गा मेवाड़ा,सहायक प्रवक्ता व एनसीसी इंचार्ज गोपाल लाल धेडू, समस्त स्टाफ सदस्य और एन एस एस इकाई, करुणा क्लब व रेड रिबिन क्लब इकाइयों के छात्र -छात्राएं, महाविद्यालय की 11 राज बटालियन एनसीसी के केडट्स और महाविद्यालय के सभी अन्य छात्र-छात्राओं ने कोविड नियमो का पालन करते हुए भाग लिया।

प्राचार्या डॉ. दुर्गा मेवाड़ा ने बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान पर प्रकाश डाला और कहा कि बाबा साहब महिलाओं के मसीहा भी थे जिन्होंने समानता का अधिकार दिलाया। उन्होंने देश में चल रही विभिन्न विचारधाराओं को समाप्त कर स्वतंत्रता, समानता और आदर्श वाली विचारधारा पर चलने की बात कही। इसीलिए हमे एक विचारधारा को प्रसार करने की आवश्यकता है जैसे पौधे को पानी की आवश्यकता होती है। नहीं तो दोनों मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे।

इसके बाद *गोपाल लाल धेडू* ने बाबा साहब के अनमोल वचनो पर प्रकाश डाला और यह भी बताया कि यदि मनुष्य का मूल्यांकन उसके धर्म के आधार पर किया जाता है तो उसके अन्य मानकों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि ज्ञान का विकास ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला तथा कविता एवं गान के साथ जन्म जयंती समारोह मनाया।

विभिन्न मांगो को लेकर सीबीईओ से वार्ता 19 को

ब्यावर (हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा ब्यावर राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रजापति की अध्यक्षता में आवश्यक बैठक हुई। जिला मंत्री रघुवीर सिंह चौहान ने बताया कि बैठक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को समरसता दिवस के रूप में मनाया गया एवं बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला एवं उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जवाजा से दिनांक 19 अप्रैल 2021 वार्ता की जाएगी। वार्ता में पीडी अकाउंट के सभी शिक्षकों का वेतन समय पर करवाने हेतु , शहरी क्षेत्र के शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं संकुल प्रभारी को भिजवाई जा रही है उससे पहले संपूर्ण संधारण करवाने के पश्चात भी भिजवाई जावे बकाया एसीपी प्रकरणों का निस्तारण एवं विभिन्न समस्याओं को लेकर वार्ता की जाएगी बैठक में जिला सभा अध्यक्ष धन्ना सिंह रावत रामनारायण तर्क नारायण सिंह लबुरी, ब्यावर अध्यक्ष नंद सिंह चौहान, मंत्री मुकेश प्रजापति जिला उपाध्यक्ष गीता सोलंकी विभाग संगठन मंत्री गुरुशरण गोयल जिला कोषाध्यक्ष विष्णु गोयल आदि उपस्थित हुए।

पाँच केन्द्रो पर लगेगा कोरोना वेक्सिन का प्रथम टीका

ब्यावर (हुक्मनामा समाचार)। उपखंड अधिकारी राम प्रकाश ने बताया कि गुरुवार को 5 केंद्रों पर 45 वर्ष या अधिक आयु के नागरिकों का कोरोना वेक्सिन की प्रथम खुराक का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा की नागरिकों की सुविधा के लिये राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय, कॉलेज रोड ईएसआई डिस्पेंसरी, सिटी डिस्पेंसरी मेवाड़ी गेट,उप स्वास्थ्य केंद्र गड्डी थोरियान, माहेश्वरी छात्रावास चांग चितारा रोड पर टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। पांचों केंद्रों पर केवल प्रथम डोज लगाई जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि शहर वासी जिनको दूसरी खुराक दी जानी है वह कल इन केंद्रों पर नहीं पहुंचे तथा अनावश्यक असुविधा एवं भीड़भाड़ से बचें।

SRG Housing Finance Limited
321, SM Lodha complex, Near Shastri circle, Udaipur (Rajasthan)

CORRIGENDUM

Please refer to the **"Public Notice For Sale/Auction of Immovable Property"** Advertisement of **Uma Shankar Gupta and others** published in the Ajmer edition of Hukmnama on April 13, 2021 on page no. 7. In this advertisement, the **Date of Bids may be read as May 14, 2021** instead of May 03, 2021. All other details and terms and conditions of the Sale/Auction remain same.

Authorized Officer
SRG Housing Finance Ltd., Udaipur (Raj.)